

लोक प्राधिकरण का संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त शक्तियां एवं कर्तव्य :-

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचनों का संचालन, निर्वाचक नामाविलयों के पुनरीक्षण, मतदान केन्द्रों में परिवर्तन/संशोधन संबंधी कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत समय-सीमा में संपन्न कराया जाता है।

वित्तीय शक्तियां :

अधिकारियों को प्राप्त वित्तीय शक्तियां निम्नानुसार है :

स.क.	अधिकारी का नाम	प्राप्त वित्तीय शक्ति
1	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	छत्तीसगढ वित्तीय संहिता के अन्तर्गत विभाग को प्रदत्त समस्त शक्तियां
2	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	रूपये 25000/— तक के आकरिमक व्यय की स्वीकृति की शक्ति

प्रशासनिक शक्तियां :

इस कार्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन के संबंध में प्रशासकीय शक्तियां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्राप्त है। संबंधित शाखाओं के शाखा धारक द्वारा प्रकरणों का परीक्षण कर नरती अनुभाग अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने मत सहित नस्ती अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अंकित की जाती है, जहां से आवश्यकतानुसार नस्ती अनुशंसा सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्णय हेतु अंकित की जाती है, अथवा निर्णय उपरान्त नस्ती अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्णय हेतु अंकित की जाती है, अथवा निर्णय उपरान्त नस्ती अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लौटा दी जाती है।

विभिन्न शाखाओं में कार्यरत् कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

डी के एस. भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर दूरमाथ — 0771—2236685 फैक्स — 0771 — 2224476

website:ceochhattisgarh.nic.in, e-mail ID: ceoraipur.cg@nic.in

क्रमांक 97/स्था./कार्य.वि./2022/2960

रायपुर, दिनांकः 12 / 09 / 2022

//संशोधित कार्य-विभाजन आदेश//

पूर्व में जारी आदेश कमांक 1965A दिनांक 31.05.2022 को अधिकमित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश जारी किया जाता है:-

स्ब	शास्त्रा की नाम व क्रमाक	विषय	नस्तियों का संघारण	शाखा अन्तर्गत सहयोगी क अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	शास्त्रा प्रमारी अधिकारी
1	स्थापना शाखा (शाखा क्रं. -01)	स्थापना शाखा से संबंधित कार्य	अधिकारियो / कर्मचारियो की पदस्थापना सब्धी समस्त कार्य। वेतन निर्धारण एव जाच। पदोन्नति, विभागीय जान्च, निलम्बन, सर्विलियन सब्धी समस्त कार्य। अधिकारियो / कर्मचारियो की वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, विकित्सा देयक सब्धी समस्त कार्य। अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा पुरिसका का सधारण का कार्य। पतिनियुक्ति तथा सविदा के अधिकारियों के सतान शिक्षा भत्ता, एव चिकित्सा देयक सब्धी कार्य। पारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सतान शिक्षा भत्ता, एव चिकित्सा देयक सब्धी कार्य। जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन पर्यवेद्यक की नियुक्ति के सब्ध में। किवानसभा / लोकसभा सामान्य निर्वाचन के मानदेय का प्रस्ताव तैयार करना। कार्यालयीन न्यायालयीन प्रकरण एवं समस्त रिट याचिकाओ पर कार्यवाही। WP No. 490/2005 & 231/2005 के सब्ध में मारिक रिपोर्ट आयोग को प्रेशित करना। निर्वचन हेतु आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षकों सब्धी कार्य कार्यलयीन दरभाष / इन्टरनेट सब्धी देयको का भुगतान कार्यवाही शाखा से सब्धित राज्यसमा / लोकसभा ताराकित / अताराकित प्रशन	श्री किशोर प्र कुमार डे (अनुभाग अधिकारी) श्री गैंदलाल साहू मानचित्रकार श्रीमती नितिमा सिंह (सहा वर्ग-3) (संलग्न)	श्रीमती शारदा अग्रवाल (सहा मु.नि.प.)

बजट शास्त्रा (शास्त्रा क्रं. —02)	बजट शाखा से संबंधित कार्य	वित्तीय वर्ष हेतु बजट / पुनरीक्षित बजट तथा आगामी वर्ष हेतु अनुमानित बजट तैयार कर शासन को प्रेषित करना। एव आवश्यकतानुसार राशि का पुनिविनियोजन करना। प्रावधानित बजट में से जिलों को आबंटन जारी करना। वित्तीय वर्ष हेतु प्रावधानित बजट के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता। होने पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करना। आय व्यय की जिलों तथा कार्यालय से संकलित कर शासन को प्रेषित करना। महालेखाकार से प्राप्त जिलों की आडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही। जिलों का लेखा निरीक्षण कार्य। कार्यालय मुनिप से संबंधित आय—व्ययों का महालेखाकर द्वारा किये गए आडिट करने के पश्चात प्रस्तुत प्रतिवेदन का प्रतिजलर तैयार कर महालेखाकर द्वारा किये गए आडिट करने के पश्चात प्रस्तुत प्रतिवेदन का प्रतिजलर तैयार कर महालेखाकर द्वारा किये गए आडिट करने के पश्चात प्रस्तुत प्रतिवेदन का प्रतिजलर तैयार कर महालेखाकर द्वारा आय—व्यय की तिमाही व्यय के आकडे की प्रेषित सीडी से समस्त जिलों का तिमाही व्यय लेखा मिलान पश्चात शासन को प्रतिवेदन प्रेषित करना। संबालनालय कोष लेखा द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालयों का ऑडिट के सबध में कार्यवाही करना। औडिट आपत्तियों का निराकरण। निर्वाचन व्यय जैसे वाहन किराया, पीओ एल लेखन सामग्री विवेध व्यय, विडियोग्राफी, लाईट माईक शियाना हेतु प्रारंभिक बजट आबटन प्रति विधानसमा क्षेत्र के मान से जारी करना तथा जारी आबटन से अधिक हुये व्ययों के प्रस्ताव का परीक्षण व वित्तिय स्वीकृति सबधी कार्यवाही। निर्वाचन के दौरान धायल/ मृत्यु होने पर अनुग्रह प्रतिकर प्रस्ताव पर कार्यवाही। बीएल जी तथा निर्वाचन कार्यालयों ने नियोजित कर्मवारियों के मानदेय हेतु आबटन कारी करना। वित्तीय स्वीकृति आदेश जारी करना। शाखा से सबधित राज्यसमा/ लोकसभा ताराकित/अवाराकित प्रथम	श्री किशोर कुमार डे (अनुमाग अधिकारी) श्री भानूराम साहू (सहा.वर्ग-2)	श्री अदिति वासनिक (उप संचालक वित्त)
नामावली शाखा (शाखा क्र 03)	निर्वाचक नामावली से संबंधित कार्य	निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन/संक्षिप्त/ सतत् पुनरीक्षण सेवा निर्वाचकों की मतदाता सूची पुनरीक्षण निर्वाचक रिजरट्टीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति एवं राजपत्र में प्रकाशन MIS Entry/ATIR संबंधी रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करना	श्री विनोद कुमार सोनकेसरिया (सहावर्ग-1) श्री शंकर लाल साहू (सलम्न)	श्री विनय कुमार अग्रवाल (उप मु नि प)

- 10		Declare annuality of the second arithmet	- A D-1-	(3)
4		निर्वाधक नामावित्यों का विशेष गहन/ सिक्षित/ सतत पुनरीक्षण हेतु लगने वाले आवश्यक प्रपत्नों की भागसंख्या एकत्रित कर स्टोर शाखा के माध्यम से प्रपत्नों का मुद्रण शाखा से संबंधित राज्यसभा/लोकसभा तारांकित/ अतारांकित प्रश्न शाखा से संबंधित शिकायतों का निराकरण	कुमार	श्री चिनय कुमार अग्रवाल (उप.मु.नि.प.)
र्वा चन	निर्देश एव निर्वाचन कार्यक्म/ मतदान दः गतन/ नाम-निर्देश न/मतपन्न मुद्रण/ मतदान	EVM, VVPAT, परिवहन एवं मासिक / त्रैमासिक निरीक्षण प्रतिवेदन का संप्रेषण गैर निर्वाचन अवधि के दौरान आयोग से प्राप्त समस्त महत्वपूर्ण निर्देशों को सर्वसंबंधितों को जारी किया जाना विधानसभा / लोकसभा सामान्य एवं उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा एवं अधिसूचनाओं का प्रकाशन बाबत्। गतदान दलों के गठन एवं रेण्डमाईजेशन एवं मतदान दलों की गठन एवं रेण्डमाईजेशन एवं मतदान दलों की गठन एवं रेण्डमाईजेशन एवं मतदान दलों की गठन एवं निर्वाचन संचालन की विभिन्न गतिविधियों हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति नाम निर्देशन की जानकारी आयोग को प्रेषित करना प्रकाम-7क वं राजपंत्र प्रकाशन एवं मतपत्रों का मुद्रण मतदान प्रतिशत की जानकारी निर्धारित प्रपन्न में प्रत्येक 02 घन्टे में मतदान के अगले दिवस अतिम रिपोर्ट प्रांत 7:00 बजे की स्थिति में शाखा से संबंधित शिकायतों का निराकरण	श्री विनोद कुमार सोनकेसरिया (सहा वर्ग-1)	श्री रूपेश कुमार वर्मा (सहा मु.चि.प.)
वायन वालन खा क्रं 04)	सुरक्षा एवं संचार व्यवस्था	सुरक्षा व्यवस्था हेतु फोर्स डिप्लॉयमेन्ट प्लान एवं कम्यूनिकेशन प्लान शराब बिकी पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सीमावर्ति राज्यों के अन्तर्गत सब्रधित जिले के जिला निर्याचन अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों में समन्वय बैठक कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की नियुक्ति कानून एवं व्यवस्था की दैनिक रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करना		
	प्रशिक्षण	निर्वाचन संबंधी समस्त प्रशिक्षण	श्रीमती	श्री रूपेश
	परिवहन	मतदान दलों के परिवहन हेतु वाहनों की व्यवस्था व अधिग्रहण निर्देश मतदान दलों के परिवहन हेतु कट चार्ट की जानकारी एकत्र करना	राजेश्वरी सिंह कुमार व	कुमार वर्मा (सहा.मु.नि.प.)
	हेलिकॉप्ट र	पहुंचियहीन मतदान केन्द्रों में मतदान दलों के परिवहन हेतु हेलिकॉप्टर की व्यवस्था एयर एम्बूलेस की व्यवस्था एवं प्रबंधन एवं निर्वाचन के दौरान एपयांग किये गये हेलीकाप्टरों एवं ऐयर एम्बूलेस हेतु प्राप्त देवको पर कार्यवाही करना।		
T		निर्वाचन याचिका सबधी कार्यवाही।		
-1	The second secon	शाखा से संबंधित शिकायतों का निराकरण।		0 (
		मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं वितरण सबधी सम्पूर्ण कार्य शास्त्रा से संबंधित शिकायतों का निराकरण।	श्री पी.एस. गुणवान (अनुभाग अधिकारी)	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो (उप मु.नि.प) श्री प्रकाश (त्रेपाठी, सहा

,	-		(A)	Y
	मतदान केन्द	मतदान केन्द्रों का पुनगर्तन/युवितयुकाकरण एवं मूलभूत सुविधा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिये मतदान केन्द्रों का अरुधाई रूधानातरण मतदान केन्द्रों के मूलभूत सुविधाओं सक्यी निर्देश सर्वेदनशील एवं अतिसर्वेदनशील मतदान केन्द्रों एवं Vulnerability Mapping की जानकारी निर्वाचन के दौरान क्रिटिकल घटनाओं की विडियोग्राफी/मतदान केन्द्रों पर वेब कास्टिंग हेतु	श्री पी.एस. मुणवान	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो
	मतगणना	निदेश मतगणना स्थलों का प्रस्ताव प्राप्त कर आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना मतगणना उपरांत परिणाम संबंधी आवश्यक दस्तावेज आयोग को भेजने बाबत्। मतगणना कार्य हेतु अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति। शाखा से संबंधित शिकायतों का निराकरण।	(अनुभाग अधिकारी) श्री अमित (संलग्न)	(उप मुनिय)
	MCMC (CELL) मिडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण	जिला एवं राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन व निर्देश बावत्। पेड न्यूज संबंधी प्रकरणों की जानकारी राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के समक्ष प्राप्त अपील मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण के तहत प्रचार सामग्रियों / माध्यमों के दर का निर्धारण राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा रेडियों / टीव्ही चैनल पर विज्ञापनों के प्रकाशन की अनुमति बावत्। मीडिया कर्मियों को मतदान व मतगणना स्थल में प्रवेश हेतु प्राधिकार पत्र जारी करना। अभ्यर्थियों के पेड-न्यूज संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में एकत्र करना शाखा से संबंधित शिकायतों का निराकरण।	श्री पी.एस. गुणवान (अनुभाग अधिकारी) श्री अमित कुमार कानूनगो (डा.ए.ऑ.) (संलग्न)	श्रीमती शारदा अग्रवाल (सहा.मु.नि.प.)
निर्वाचन संचालन	निर्वाचन व्यय लेखा एवं अनुवीक्षण EEM (CELL)	प्रचार सामग्रियों के मुद्रण की सूचना के संबंध में राज्य के सभी मुद्रकों को निर्देश व बैठक सूचना जारी करना राजनैतिक दलों द्वारा प्रकाशन कराये जाने वाले बैनर/पोरंटर व अन्य प्रचार सामग्रियों के मुद्रण की सूचना के सबंध में राज्य के सभी मुद्रकों को सूचना जारी करना निर्वाचन व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति। सभी मुद्रकों से प्राप्त मुद्रण की सूचना व नमूने की पृथक-पृथक नस्ती व पंजी का सधारण सकलित रिपोर्ट तैयार किया जाना निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में आयोग के निर्देश व व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के तहत विभिन्न दलों के गठन व जब्दी की जानकारी प्राप्त करना निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के तहत प्रचार सामग्रियों के दर का निर्धारण	श्रीमती किरण वर्मा (सहा वर्ग-2)	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो (उप मुनिप)

47.			(3)	
		निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किये जाने के सबध में आयोग के निर्देश जारी करना। अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किये गये व्यय लेखा संबधी अनुलग्नक 21 में जानकारी प्राप्त कर संकलित जानकारी आयोग को प्रेषित करना आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को व्यय लेखा के संबंध में जारी किये गये नोटिस पर आवश्यक कार्यवाही व जिलेवार नस्ती का सधारण लेखा दाखिल करने में असफल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निरहित सूची का राजपत्र में प्रकाशन	श्रीमती किरण	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो
2	राज्नैतिक	पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड व ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में आयोग के निर्देश पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड व ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्राप्त कर आयोग को रिपोर्ट भेजना शाखा से संबंधित शिकायतों का निराकरण। राजनैतिक दलों का पजीकरण संबंधी आयोग द्वारा	वर्मा (सहा.वर्ग-2)	(उप मु.नि.प.)
	दलों का पंजीकरण फार्म-ए, बी एवं स्टार प्रचारकों की सूची गोपनीय	जारी अधिसूचनाओं का राजपंत्र में प्रकाशन, प्रतीक आबंटन एवं राजनैतिक दलों द्वारा प्रस्तुत फार्म-ए,बी एवं स्टार प्रचारकों की सूची आयोग से प्राप्त गोपनीय सील का वितरण व निर्देश		
	RO/ARO, DEMP	रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति । जिला निर्वाचन कार्य योजना का सकलन व आयोग को प्रेषित किया जाना शाखा से संबंधित शिकायतों का निराकरण।		
निर्वाचन संचालन	आदर्श आचार संहिता MCC	निर्वाचन की घोषणा संबंधी प्रेस नोट जारी होने के उपरांत सर्व-संबंधितों को आचार सहिता प्रभावशीलता संबंधी निर्देश जारी करना। आचार संहिता अन्तर्गत प्रतिबंधों संबंधी निर्देश जारी किया जाना। सम्पति विरूपण की दैनिक जानकारी एकत्रित कर संकलित रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करना स्क्रीनिंग कमेटी का गठन एवं आचार सहिता प्रभावशील अविध के दौरान प्रतिबंधित कल्याणकारी योजनाओं की अनुमति के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर आयोग की अनुमति प्राप्त किया जाना। (प्रत्येक आवेदनों के लिये पृथक-पृथक नस्ती तैयार करना)	श्री किशोर कुमार डे (अनु. अधिकारी) श्रीमती किरण वर्मा (सहा.वर्ग-2)	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो (उप मु.नि.प.)
	शिकायत सेल	आवार शहिता उल्लंपन सबंधी आयोग / जिला / अन्य से प्राप्त शिकायतों की जाँच व निराकरण तथा पंजी संधारण NGRS से संबंधित शिकायतों का कॉल सेन्टर से समन्वय कर निराकरण	श्री किशोर कुमार डे (अनु. अधिकारी) श्रीमती किरण वर्मा (जटा तर्म=2)	श्रीमती शारव अग्रवाल (सहा मुनि प)

				(6)
		राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु जारी ग्रेस नोट सर्वसंबंधितों के सङ्गान हेतु पत्र जारी करना		
		राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचनाओं का राज्य के राजपत्र में प्रकाशन	कुमार डे	F
	राज्यसभा	146144 9184141 40 1143901	आधकारा)	श्री रूपेश कुमार वर्मा
	द्विवार्षिक निर्वाचन	राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना	वमा	(सहा.मु.नि.प.)
		राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु मीडिया प्रतिनिधियों हेतु प्राधिकार पत्र जारी करना राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु मतदान/मतगणना संबंधी रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करना	(सहा.वर्ग-2)	
	राष्ट्रपति / उप राष्ट्रपति निर्वाचन	राष्ट्रपति / उप राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु जारी प्रेस नीट सर्वसम्बंधितों के सङ्गान हेतु पत्र जारी करना राष्ट्रपति / उप राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचनाओं का राज्य के राजपत्र में प्रकाशन राष्ट्रपति / उप राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति।	श्री किशोर कुमार डे (अनुभाग अधिकारी) श्री मानूराम साहू	श्री रूपेश कुमार वर्मा (सहा.मु.नि.प.)
		राष्ट्रपति / उप राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना	(सहा.वर्ग-2)	
		राष्ट्रपति / उप राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु मीडिया प्रतिनिधियो हेतु प्राधिकार पत्र जारी करना शाखा से संबंधित शिकायतों का निराकरण।		
		आहरण एव सवितरण अधिकारी (D.D.O.)	श्री सतीश काले (सहा.सा.अधि) श्री अजय कुरें (सहा.वर्ग-2)	आहरण एवं
		कार्यालयीन अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान तथा.CPS/GPS की कटौत्री तथा जमा किया जाना		
		अधिकारियों / कर्मचारियों के Income Tax की समय पर कटौत्री।		
		लेखा शाखा (GST व Income Tax संबंधी कार्य)		
		समस्त भत्तों की स्वीकृति संबंधी कार्य		
	->	विधानसभा / लोकसभा सबधी साख्यकीय आंकडे व परिणाम पुस्तिका की तैयारी एव मुद्रण		
(लेखा	लेखा एवं	कॉल सेन्टर		
शाखा क्र. -05)	सूचना का	सूचना का अधिकार		
	अधिकार	महालेखाकार द्वारा क्रय/भुगतान संबंधी नस्तीयों का अकेक्षण व आपत्ति कण्डिकाओं का निराकरण की कार्यवाही	श्री सतीश काले (सहा.सा.अधि) एवं सहा.जन सू.	श्री प्रकाश त्रिपाठी (सहा.मु.नि प.) एवं जन सू.अधि.
		इन्डेक्स कार्ड में साख्यकीय आंकडे प्राप्त कर मिलान करना व आयोग को प्रेषित करना		
		इन्डेक्स कार्ड के आकड़े के आधार पर परिणाम पुरितका तैयार करना	अधि.	
		राज्य एवं जिला स्तरीय मतदाता सूचियों/मतदाता फोटो परिचय पत्रो सबधी आकडे सकलित करना		
	1	शाखा से संबंधित शिकायतों का निराकरण।		
			1	

1	ON .	निर्वाचन के उपयोग में लगने वाले आवश्यक समस्त	1	0
स्टोर शाखा शाखा कं. -06)	प्रपत्रों / निर्देश पुरितकाओं का मुद्रण / बैठक व्यवस्था	का मृद्रण एव वितरण वेयर हाउस (EVM. VVPAT) से सबधित सपूर्ण कार्य निर्वाचन हेतु आयोजित किये जाने वाले बैठकों हेत भोजन / जलपान की समुचित व्यवस्था कार्यालयीन लेखन- सामग्रियों / फर्नीचर उपकरण व अन्य सामग्रियों का क्रय एवं स्टॉक पंजी का संधारण अपलेखन संबंधी कार्य। रिकंडि रूम में नित्तयों का रख-रखाव व पंजी संधारण कार्यालय की साफ-सफाई संबंधी व्यवस्था करना। कार्यालय में होने वाले बैठकों हेतु जलपान की व्यवस्था शाखा से संबंधित राज्यसमा / लोकसमा तारांकित / अतारांकित प्रश्न शाखा से संबंधित शिकायतों का निराकरण कार्यालयीन लेखन- सागग्रियों / फर्नीचर उपकरण	श्री संजय कुमार ठाकुर (सहा.वर्ग–2) श्री प्रदीप चौरसिया (अधीक्षक) (संलग्न)	श्री प्रकाश त्रिपाठी (सहा.मु.नि.प.)
कम्यूटर शाखा शाखा क्रं. –07)	आई.टी. सेल से संबंधित कार्य	व अन्य सामग्रियों का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन आई.टी शाखा/कम्प्यूटर सेल संबंधी समस्त कार्य/नियत्रण ई सी.आई. द्वारा प्रदाय समस्त सॉफ्टवेयर (सुगम, सुविधा, समाधान सीविजिल, एन जी एस. एवं अन्य) साईबर सिक्यूरिटी, मुनि प कार्या वेबसाईट का संचालन एव अद्यतन स्थिति ETPBS & Postal Ballot मतदान केन्द्रों का गठन एव युक्तियुक्तकरण एव कट्रोल टेबल का अपडेशन MIS Entry/ATR संबंधी रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करना ERO NET से संबंधित कार्य EVM, VVPAT, EMS से संबंधित कार्य EVP से संबंधित कार्य यगल शीट तैयार कर जानकारी संकलित करना विधानसभा/लोकसभा संबंधी सांख्यकीय आंकडे व परिणाम पुरितका की सेटिग्स/सु—सिज्जत व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश किया जाना।	श्री विनोद आगलावे (सिस्टम मैनेजर) श्रीमती प्रदीपा थवाईत (सहा.प्रो. संविदा)	श्री विनय कुमार अग्रवाल (उप मु.नि.प) श्री विनोद कुमार सोनकेशरिया (सहा.गेड—01
		शाखा से संबंधित राज्यसभा/लोकसभा तारांकित/ अतारांकित प्रश्न शाखा से संबंधित शिकायतों का निराकरण। V.C. से संबंधित जानकारी समस्त शाखाओं से प्राप्त करना तथा आवश्यक व्यवस्था करना।		

	स्वीप शाखा (शास्त्रा क्रं –08)	मतदाता जागरूकता अभियान व अन्य	निर्वाचक नामावित्यों का विशेष गहन / सिंहाप्त / सत्त पुनरीक्षण एवं निर्वाचन मतदान हेतु निर्वाचक के अधिक से अधिक सहभागिता हेतु गतदात जागरूकता अभियान संबंधी समस्त कार्य बेस लाईन सर्वे संबंधी कार्य राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजन संबंधी समस्त कार्य निर्वाचन कार्य की तैयारी के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की बैठक के आयोजन की तैयारी एवं सम्पूर्ण व्यवस्था (प्रेस कॉन्फ्रेंस)मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक आयोजन सी तैयारी एवं सम्पूर्ण व्यवस्था बैठक की कार्यवाही विवरण तैयार करना प्रोटोकॉल कार्य अन्तर्गत आयोग व अन्य राज्यों के आग्वाक का अतिथि सत्कार संबंधी संपूर्ण कार्य शाखा से संबंधित राज्यसभा / लोकसभा तारांकित / अतारांकित प्रश्न	श्री अजय कु (सहा.वर्ग-2)	
		परिसीमन	राज्य के विधानसभा / लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सबधी संपूर्ण कार्य	श्री गेंदलाल साहू मानचित्रकार	श्री प्रकाश त्रिपाठी (सहा.मू.नि.प.)
		लायब्रे री / सूचना का अधिकार	लायग्रेश में पुस्तकों का एकत्रीकरण/व्यवस्थित रख-रखाव/पंजी संधारण/पुस्तकों का क्रय सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही	श्री सतीश काले (सहाजन सू.अधि) श्रीमती राजेश्वरी सिंह (ग्रन्थपाल)	श्री प्रकाश त्रिपाठी (सहा.मु.नि.प.) एवं जन सू अधि
)		आवक/ जावक	समस्त महत्वपूर्ण पञ्जो के आवक / जावक / डाक-टिकट / कैम्प-बैग सब्धी समस्त कार्य	श्री आलोक द्विवेदी (सलग्न सहा वर्ग-2)	श्री प्रकाश त्रिपाठी (सहा.मु.नि.प.)
1	मुनिप की निजी स्टॉफ		 आयोग से प्राप्त समस्त गोंपनीय पत्रों सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण सी ई ओं के अनुमोदन उपरांत राज्य सरकार को गोंपनीय निर्देशों / सूचनाओं का प्रेक्षण समस्त महत्वपूर्ण पत्रों / परिपत्रों / सूचनाओं / आदेश तथा निर्देशों की प्रति सधारित रखना। गार्ड फाईल तैयार करना 	श्री योगेश व सहायक श्रीमती कवि सहायक	ग्रेड-02 ति प्रधान,
2	अति मुनिप की निजी स्टॉफ		 आयोग से प्राप्त समस्त गोपनीय पत्रो सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण सगरत महत्वपूर्ण पत्रो / परिपत्रो / सूचनाओ / आदेश तथा निदेशों की प्रति सधारित रखना। अति मुनिप समय समय पर सौंधे गए समस्त कार्य गार्ड फाईल तैयार करना 	श्री दुर्गाप्रसाद गावरे. शीधलेखक (वरिष्ठ)	

उपरोक्तानुसार आबटित कार्य के अतिरिक्त उच्च अधिकारियों हारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।



अवकाश की स्थिति में लिक अधिकारियों की व्यवस्था

्उपरोक्तानुसार आबंटित कार्य के प्रभारी अधिकारियों के द्वारा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी / ए मुल्क निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से नस्ती प्रस्तुत करेंगे। प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के तहत आगामी

्य पर्यन्त निम्न दर्शाये अनुसार अधिकारी आपस में लिंक अधिकारी होंगे:--

祖.毒.	अधिकारी का नाम	लिंक अधिकारी का नाम
1	2	3
1	डॉ के आर आर सिंह, संयुक्त मुनिप (स्वीप)	श्रीमती शारदा अग्रवाल, सहायक मुनिप
2	श्रीमती अदिति वासनिक उप संचालक (वित्त)	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, उप मृनिप
3	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, उप मुनिप	श्री विनय कुमार अग्रवाल उप मुनिप
4	श्री विनय कुमार अग्रवाल, उप मुनिप	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, उप मुनिप
5	श्री प्रकाश त्रिपाठी, सहायक गुनिप	श्री रूपेश कुमार वर्मा, सहायक मुनिप
6	श्री रूपेश कुमार वर्मा, सहायक मुनिप	श्रीमती शारदा अग्रवाल, सहायक मुनिप
7	श्रीमती शारदा अग्रवाल, सहायक मृनिप	श्री प्रकाश त्रिपाठी, सहायक मुनिप
8	श्री किशोर कुमार हे, अनुभाग अधिकारी	श्री पी.एस.गुणवान, अनुभाग अधिकारी
9	श्री पी.एस.गुणवान, अनुभाग अधिकारी	श्री किशोर कुमार है, अनुभाग अधिकारी

उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(रीना बाबासाहेब कंगाले) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अध्यासमाह, रायुपुर

वृ.क. 97 / स्था. / कार्य वि. / 2022 / 2.960 - 14 प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांकः 12/09/2022

 अतिरिक्त मुनिप/संयुक्त मुनिप/उप मुनिप/उप संचालक (वित्त)/सहायक मुनिप/अनुभाग अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2 समस्त शाखा प्रभारियों की ओर सूचनार्थ।

3 गार्ड फाईल।

सर्व संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एव पालनार्थ।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी फत्तीसगढ, रायपुर

डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर दरभाष - 0771-2236685 फैक्स - 0771 - 2224476

website:ceochhattisgarh.nic.in, e-mail ID: ceoraipur.cg@nic.in

क्रमांक 97 / स्था. / कार्य.वि. / 2023 / 603

रायपुर, दिनांक : /02/2023

// संशोधित कार्य-विमाजन आदेश//

कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश कमांक 97/स्था/कार्यं वि./2022#2960, दिनांक 12.09.2022 में श्रीमती शारदा अग्रवाल, सहायक मुनिप को सौंधे गए समस्त्र कार्य से मुक्त किया जाता है।

श्रीमती अदिति वासनिक, उप संचालक (वित्त) अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ स्थापना शाखा के कार्यों का संपादन करेंगी तथा श्री प्रकाश त्रिपाठी, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ श्रीमती अग्रवाल को साँपे गए कार्यों का भी संपादन करने हेतू आदेशित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ, रायपुर

प्.क्रमांक 97 / स्था. / कार्य वि. / 2023 / GO U प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक : /02/2023 1 0 FEB 2023

1. अति मुनिप/संयुक्त मुनिप/संयुक्त मुनिप (स्वीप)/उप संचालक (वित्त)/उप मुनिप / सहायक मुनिप / अनुभाग अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

श्रीमती अदिति वासनिक, उप संचालक (वित्त) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

श्रीमती शारदा अग्रवाल, सहायक मुनिप की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4. श्री प्रकाश त्रिपाठी सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

5. समस्त शाखा प्रभारियों, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

> मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर

डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर-दूरमाष - 0771-2236685 फैक्स - 0771 - 2224476

website:ceochhattisgarh.nic.in, e-mail ID: ceoraipur.cg@nic.in

क्रमांक 97 / स्था. / कार्य.वि. / 2023 / 722

रायपुर, दिनांक : /02/2023

20 FEB 2023

// संशोधित कार्य-विभाजन आदेश//

पूर्व में जारी कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश कमांक 97 / स्था / कार्य वि /2022/2960, दिनांक 12.09.2022 एवं आदेश क्रमांक 97/स्था/कार्य.वि./3023/603, दिनांक 10 02 2023 को अधिकमित करते हुए श्रीमती शारदा अग्रवाल, सहायक मुनिप को स्वीप शाखा का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए स्वीप शाखा के नस्तीयों / कार्यों को डॉ.के.आर. आर सिंह, संयुक्त मुनिप (स्वीप) के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(रीना बाबासाहेंब कंगाले) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

2 D FEB 2023

च्छित्तीसगढ, रायपुर रायपर, दिनांक : /02/2023

पु.क्रमांक 97 / स्था. / कार्य.वि. / 2023 / 723 प्रतिलिपि :-

1 अति मुनिप/संयुक्त मुनिप/संयुक्त मुनिप (स्वीप)/उप संचालक (वित्त)/ उप मुनिप / सहायक मुनिप / अनुभाग अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2 डॉ.के आर आर सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (स्वीप)की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

श्रीमती शास्दा अग्रवाल, सहायक मुनिप की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

श्री अजय कुमार कुरैं. सहायक ग्रेड-02 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5. समस्त शाखा प्रभारियों, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ ग रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

> चन पदाधिकारी छत्तीसगढ, रायप्र

12

डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर दूरभाष — 0771—2236685 फैक्स — 0771 — 2224476

website:ceochhattisgarh.nic.in, e-mail ID: ceoraipur.cg@nic.in

क्रमांक 97 / स्था. / कार्य.वि. / 2023 /1110

रायपुर, दिनांक : /02/2023 2 4 MAR 2000

// आदेश//

छत्तीसगढ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश कमांक एफ -2-6/2023/सात-2, दिनांक 15.03.2823 द्वारा श्री भयक अग्रवाल, नायव तहसीलदार, जिला बिलामपुर को कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी फल्तीसगढ रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर अस्थारी रूप में आगामी आदण नव पदम्थ

अश मयक अग्रवाल, नायय नहसीलहार का सहायक ग्रंड-१० क पर के विरुद्ध कार्य करने हेतु आटेशित किया जाता है।

अवर्थालयीन कार्य विभाजन आदेश कमाक 2960, दिनाक 12,09,2022 म आशिक संशोधन करते हुए श्री मंयक अग्रवाल, को निम्नानुसार कार्यों का संपादन करने हेतु आदेशित किया जाता है :- वेब कॉस्टिंग. Epic, MCMC CELL मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण, मतवान एवं मतगणना स्थलों के प्रस्तावों का तकनीकी अंकेक्षण, मतदान केन्द्र एवं मतदान केन्द्रों का कंट्रोल टेबल अपडेशन से संबंधित कार्य।

उक्त सभी कार्य कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश कमांक 2960, दिनांक 12 09.2022 में आदेशित शाखा प्रभारी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तृत करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(रीना बाबासाहेब कंगाले) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अब्दीसगढ़, रायपुर रायपुर, दिनांक अ

पृ.क्रमांक 97 / स्था. / कार्य.वि. / 2023 / <u>1111</u> प्रतिलिपि :-

 अति. मुनिप/संयुक्त मुनिप/संयुक्त मुनिप (स्वीप)/उप संचालक (वित्त)/उप मुनिप/सहायक मुनिप/अनुभाग अधिकारी (समस्त) को ओर सूचनार्थ प्रेषित। ।

2. समस्त शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3 श्री मंयक अग्रवाल, नायब तहसीलदार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग.
रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ, रायपुर

ही.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर दूरभाष - 0771-2236685 फैक्स - 0771 - 2224476

website:ceochhattisgarh.nic.in, e-mail ID: ceoraipur.cg@nic.in

क्रमांक 97 / स्था / कार्य वि. / 2023 / 13 72 रायपुर, दिनांक : / 04 / 2023

छत्तीसगढ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश कमांक एफ -2-6/2023/सात-2, दिनांक 15 03 2023 हारा श्री हार्दिक श्रीवास्तव, तहसीलदार, जिला- कोण्डागाव एवं श्री रविशंकर राठौर, नायब तहसीलदार, जिला-कोरबा को कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ रामपुर में प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है।

2/ श्री हार्दिक श्रीवास्तव, तहसीलदार, को अनुभाग अधिकारी तथा श्री रविशंकर राठौर, नायब तहसीलदार, को सहायक ग्रेड-01 के पद विरुद्ध कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है।

3/ कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 2960, दिनांक 12 09 2022 को अधिकिमत करते हुए श्री हार्दिक श्रीवास्तव, एवं श्री रिवशंकर राठौर को निम्नानुसार कार्यों का संपादन

करने हेत आदेशित किया जाता है -

重	नाम	पदनाम	कार्य का विवरण	शाखा प्रभारी अधिकारी
1	श्री हार्दिक	अनुमाग अधिकारी	आई टी सेल से संबंधित कार्य	श्री विनय कुमार अग्रवाल, उप मुनिप
	श्रीवास्तव		सहायक जन सूचना अधिकारी, कॉल सेन्टर	श्री प्रकाश त्रिपाठी, सहा मुनिप,
2	श्री रविशकर राठौर	सहायक ग्रेड-01	प्रशिक्षण. बैठक कार्य संबंधी समस्त संधारण / कार्यवाही	श्री रूपेश कुमार वर्मी, सहा मुनिप डॉ के आर आर सिंह संयुक्त मुनिप (स्वीप)

4/ प्रोटोकॉल कार्य अन्तर्गत डॉ के आर आर सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (स्वीप) के सहयोग हेतु श्री हार्दिक श्रीवास्तव, अनुभाग अधिकारी, श्री मयक अग्रवाल, सहायक ग्रेड-01, एवं श्री रविशकर राठौर, सहायक ग्रेड-01, को सत्कार अधिकारी नियुक्त किया जाता है। साथ ही श्री दुर्गा प्रसाद गावरे, शीघलेखक (वरिष्ठ) समन्वय सहायक के रूप में कार्यों का संपादन करने हेतु आदेशित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आबटित कार्य के अतिरिक्त उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंचे गए अन्य कार्य।

14

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(रीना बरबासाहब कंगाले) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ, रायपुर प्.क्रमांक 97 / स्था. / कार्य.वि. / 2023 / 1373 रायपुर, दिनांक प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक : /04/2023 -

 अति. मुनिप/संयुक्त मुनिप/संयुक्त मुनिप (स्वीप)/उप संचालक (वित्त)/उप मुनिप/सहायक मुनिप/अनुभाग अधिकारी (समस्त) को ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. समस्त शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

 श्री हार्दिक श्रीवास्तव, अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

4 श्री दुर्गा प्रसाद गांवरे, शीघलेखक (वरिष्ठ) कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

 श्री सतीश काले, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

 श्रीमती राजेश्वरी सिंह, ग्रंथपाल, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

 श्री मंयक अग्रवाल, सहायक ग्रेड-01 कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

श्री रविशंकर राठौर, सहायक ग्रेड-01 कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग.
 रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

9. श्री अजय कुमार कुरें, सहायक ग्रेड-02 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य निर्माचन पदाधिकारी क्रांतीसगढ़, रायपुर

डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर दूरमाष - 0771-2236685 फैक्स - 0771 - 2224476

website:ceochhattisgarh.nic.in, e-mail ID: ceoraipur.cg@nic.in

क्रमांक 97/स्था./कार्य.वि./2023/ | ೨६९ रायपुर, दिनांक : /06/2023 // कार्य विभाजन आदेश// 06 JUN 2023

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश कमांक एफ-2-6/2023/सात-2, दिनांक 27.04.2023 द्वारा श्री कमल किशोर साहू, नायब तहसीलदार, जिला-बस्तर को तहसीलदार के पद पर पदोन्नत करते हुए कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है।

2/ श्री कमल किशोर साहू, तहसीलदार, को अनुभाग अधिकारी के पद विरूद्ध कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है।

3/ कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश कमांक 1372, दिनांक 21.04.2023 को अधिकमित करते हुए श्री कमल किशोर साहू, तहसीलदार को निम्नानुसार कार्यों का संपादन करने हेतु आदेशित किया जाता है:--

委	नाम	पदनाम	कार्य का विवरण	शाखा प्रभारी अधिकारी
2	श्री कमल	Note that well	प्रशिक्षण,	श्री रूपेश कुमार वर्मा, सहा. मुनिप
	किशोर साह्	अधिकारी	बैठक कार्य संबंधी समस्त संधारण / कार्यवाही	डॉ.के.आर.आर. सिंह, संयुक्त मुनिप (स्वीप)

उपरोक्तानुसार आबंटित कार्य के अतिरिक्त उच्च अधिकारियों द्वारा सूमय-समय पर सौंपे गए

अन्य कार्य। शेष आदेश यथावत रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(रीना बाबासाहेब कंगाले) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

💉 छत्तीसगढ़, रायपुर

प्.क्रमांक 97/स्था./कार्य.वि./2023/1970 रायपुर, दिनांक : /06/2023

प्रतिलिपि :- 0 6 JUN 2023 1. अति. मुनिप/संयुक्त मुनिप/संयुक्त मुनिप (स्वीप)/उप संचालक (वित्त)/उप मुनिप/सहायक मुनिप/अनुभाग अधिकारी (समस्त) को ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. समस्त शाखा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3. श्री कमल किशोर साहू, अनुभाग अधिकारी (पद विरूद्ध) कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

 श्री दुर्गा प्रसाद गांवरे, शीघलेखक (वरिष्ठ) कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित.।

 श्रीमती राजेश्वरी सिंह, ग्रंथपाल, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर की ओर सचनार्थ प्रेषित।

श्री अजय कुमार कुरें, सहायक ग्रेड-02 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत इंफार्मेशन हैण्ड—बुक अध्याय—1 प्रस्तावना

- 1.1 भारत गणराज्य के छप्पन वें वर्ष में संसद द्वारा पारित 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005', जिसे महामिहम राष्ट्रपित महोदय भारत गणराज्य द्वारा 15 जून, 2005 को स्वीकृति दी गयी एवं जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 12.10.2005 से प्रदेश में भी लागू किया गया है, के अनुपालन में विभाग के कियाकलापों से संबंधित जानकारी जनसाधारण के लिये उपलब्ध करायी जा रही है।
- 1.2 प्रस्तुत जानकारी का उद्देश्य विभाग के दायित्वों, विभाग में पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों, की जानकारी एवं उनके कर्तव्यों तथा विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराकर विभाग के कियाकलापों में पारदर्शिता लाना है।
- 1.3 प्रस्तुत जानकारी सामान्य जन एवं विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों के लिए उपयोगी होने की संभावना है।
- 1.4 शासन द्वारा 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की धारा—4 (1) (बी) के तहत निर्धारित प्रारूप में कुल 18 खंडो में (अध्याय 1 से 18 तक) जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है, जिसे समय—समय पर अद्यतन किया जावेगा।
- 1.5 प्रस्तुत जानकारी में उपयोग किये गये शब्दों की परिभाषाएं अधिनियम के अध्याय-1 में परिभाषित अनुसार।
- 1.6 विभाग से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग के सूचना अधिकारी / सहायक सूचना अधिकारी जिनका विवरण अध्याय-8 में उल्लेखित है, से कार्यालयीन समय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित विधि एवं शुल्क प्रभावशील

अध्याय-2

(मैन्युअल-1)

- 2.1 विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग के मुख्य कृत्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पालन करता है एवं विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन कराने का कार्य कराया जाता है।
- 2.2 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था प्राप्त आवेदनों / ऑनलाईन आवेदनों पर कार्यवाही द्वारा।
- 2.3 मुख्य कार्यालय का पता- डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ.ग.) 492001
- 2.4 कार्यालय के खुलने का समय- प्रातः 10:30 बजे तथा कार्यालय के बंद होने का समय साय 05:30 बजे।

अध्याय-2

(मैन्युअल—1)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

3.1 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :--

पद का नाम	विवरण
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	• प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां
अपर / संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यदि शक्तियां सौंपी गई हो तो कार्य नियम तथा विभाग की पद्धित और किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, जिनका या तो कोई नीति विषयक प्रश्न अंतर्वलित न हो या विषयक प्रश्न तय हो चुका हो।
अनुभाग अधिकारी	 अनुभाग में नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखना। शासकीय नियमों एवं प्रकियाओं के अनुरूप प्रकरणों को प्रस्तुत करना। कक्ष के किसी कर्मचारी के अवकाश पर जाने पर उसकी टेबल के कार्य की व्यवस्था करना। कक्ष के कर्मचारियों के कार्यभार में सद्भाव से तालमेल बनाये रखना। तत्काल और समय—सीमा के प्रकरणों को तुरंत प्रस्तुत कराना और सुनिश्चित करना कि प्रकरणों के निराकरण में किसी भी स्तर पर देरी न होवे। विचाराधीन पत्र जो कार्यवाही होना है, उस कार्यवाही के लिए सुझाव देना। जटिल एवं महत्वपूर्ण विषय में स्वयं टीप प्रस्तुत करना। निर्धारित सप्ताह में मासिक रिपोर्ट भेजना। सहायकों द्वारा तैयार की गई प्रथम टीप की जांच कर ले कि उसमें पूर्ण तथ्य दिये है या नहीं तथा उच्चाधिकारियों को अपनी टीका या सुझाव देना। कक्ष में प्राप्त डाक का वितरण करना। प्रत्येक सप्ताह में आवक रिजस्टर का निरीक्षण करना और उसमें अपने हस्ताक्षर करना।

	 अन्य विभागों / कक्षों में भेजे गये पत्रों के विषय में स्मरण
	पत्र भेजना।
	 लंबित प्रकरणों की साप्ताहिक सूची बनवाकर प्रस्तुत
	करना ।
	• रुटिन प्रकार के पत्र-व्यवहार की स्वच्छ प्रतियों पर
	हस्ताक्षर करना।
	 इन्स्पेक्शन रिपोर्ट पर कार्यवाही, त्रुटियों को पूरा करवाना।
	 तीन वर्ष से अधिक समय की अभिलेखिक नस्तियां
	अभिलेखागार भिजवाना।
	 जावक लिपिक के स्टाम्प रिजस्टर की जांच करना।
	 कक्ष में पदस्थ अधीनस्थ कर्मचारियों के आक्स्मिक
	अवकाश, ऐच्छिक अवकाश बावत् मुख्य निर्वाचन
	पदाधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही करना।
सहायक ग्रेड-1	• प्राप्त पत्र निर्देष का परीक्षण कर नियमानुसार नस्ती तैयार
200	करना तथा उसे प्रस्तुत करना।
सहायक ग्रेड-2	• प्रकरण की त्वरितता दर्शाते हुए झंडियों का उपयोग।
	• प्रारूप तैयार करना।
	 कार्यालय आदेश फाईल, स्थायी आदेश फाईल, संग्रह फाईल तथा विभागीय आदेश पुरितका रखना।
	 निस्तयों का अभिलेखन।
सहायक ग्रेड-3	• समयावधि वाले पत्रों का रिजस्टर / सूची बनाना।
MONTH NO 0	 आवक लिपिक- अनुभाग में आई डाक लेना एवं अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करना।
	 रिकार्ड लिपिक— अनुभाग के रिकार्ड का इंचार्ज होगा तथा
	फाईले, बंडल एवं अतिरिक्त महत्व की प्रतियां रखने का
	दायित्व होगा।
	 जावक लिपिक—जावक लिपिक निर्धारित निर्गम रिजस्टर,
	टिकिट लेखा रजिस्टर तथा स्थानीय डाक पुस्तक रखेगा
	तथा आवश्यक प्रविष्टियां करेगा।

अध्याय—4 (मैन्युअल—3)

कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

4.1 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व सभी सुसंगत नियमों के तहत कार्यवाही की जाती है।

अध्याय—5 (मैन्युअल—4)

निति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गई व्यवस्था का विवरण

भारत निर्वाचन आयोग के अधीन एवं समय—समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा निति निर्धारण व कार्यान्वयन की व्यवस्था निर्धारित की जाती है। उपरोक्त हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था प्रतिपादित की गई है :--

अधिकारियों का जनता से मिलने का समय कार्यालयीन समय निर्धारित है।

अध्याय-6 (मैन्युअल-5)

विधि एवं विधायी (निर्वा.) कार्य विभाग में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्ग (category) के अनुसार विवरण

6.1

豖.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रकिया	धारक / नियंत्रण
1	कार्यालयीन अभिलेख	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से संबंधित समस्त अभिलेख	आवेदन पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में सहायक जन सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी द्वारा लिये जाएंगे। लेखा शाखा द्वारा आवेदक से प्रतियां तैयार करने के लिए निर्धारित फार्म में आवश्यक फीस प्राप्त कर रसीद दी जाएंगी। प्रचलित निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में आवेदक को प्रति दी जाएंगी।	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी / अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी / संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी / उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नियंत्रण में।

अध्याय-7 (मैन्युअल-6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण :

7.1 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से संबंधित निर्वाचन के विषय में पूर्ण विवरण विभाग की वेबसाईट http://www.ceochhattisgarh.nic.in पर उपलब्ध है।

अध्याय-8 (मैन्युअल-7)

लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विषिष्टियां

स. क.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष	पता	
1	2	3	4	5	6	
		सहायक लोक सू	वना अधिव	कारी		
1	श्री सतीश काले	सहा.सांख्यिकीय अधिकारी	0771	9826115644	डगनिया, रायपुर	
5	A S A S S Johns	लोक सूचना	अधिकारी		321	
1	श्री प्रकाश त्रिपाठी	सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	0771	9406016411	HIG ₹824. ब्लाक-6 विजेता काम्प्लेक्स. न्यू राजेन्द्र नगर रायपु	
		विभागीय अपीत	नेट अथॉनि	रेटी		
4	डॉ. के.आर.आर. सिंह	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (स्वीप)	0771	9893138909	बोरसीभाठ दुर्ग	

अध्याय—9 (मैन्युअल—8)

निर्णय लेने की प्रकिया

- 9.1 भारत निर्वाचन आयोग के तहत निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार प्रकरणों के निराकरण में अपनायी जाती है।
- 9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर विचार किया जाता है।

विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	निर्वाचन संचालन से संबंधित प्रकिया
निर्णय लेने की प्रकिया	भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों के पदनाम	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना निर्णय के विरूद्ध कहां और कैसे अपील करें	डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर
गान का विराज्य कहा आर कस अपील कर	प्रथम अपील विभागीय अपीलेट अथॉरिटी

अघ्याय—10 (मैन्युअल—9)

अधिकारियों के दूरभाष कमांक व पते संबंधी निर्देशिका

अद्यतन स्थिति.....

स. क.	अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष / मोबाईल नम्बर
1	रीना बाबासाहेब कंगाले	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	0771-2236685
	श्री बिपिन मांझी	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	0771-2236268
3	श्री के, आर, आर, सिंह	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (स्वीप)	98931-38909
4	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	97709-89049
5	श्री विनय अग्रवाल	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	94255—17243
6	श्री रूपेश कुमार वर्मा	सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	79742-17128
7	श्रीमती शारदा अग्रवाल	सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	9826108794
8	श्री अरविंद शर्मा	सहायक मुख्य निर्वाचन प्रदाधिकारी	94252-59595
9	श्रीमती रश्मि वर्मा	सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	98261-25994
10	श्री प्रकाश त्रिपाठी	सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	0771-4095492 94060-16411
11	श्री विनोद आगलावे	सिस्टम मैनेजर	99267-74640
12	0.00 \ \	अनुभाग अधिकारी	98271-85131
13	6 6 0	अनुभाग अधिकारी	91318-92381
14	8 8 4	अनुभाग अधिकारी	90981-68006

अध्याय—11 (मैन्युअल—10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

11.1 छत्तीसगढ़ शासन के नियमों के अन्तर्गत वेतन सुविधाएं इत्यादि पात्रतानुसार देय है।

अध्याय—12 (मैन्युअल—11)

मांग संख्या-01 कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

12.1 कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये आवश्यक धनराशि का अनुमान

मद	2022-23 का स्वीकृत बजट
01-वेतन	235900000
02-मजदूरी	2800000
03-यात्रा भत्ता	1800000
04-कार्यालय व्यय	19350000
05—प्रशिक्षण	2200000
102-निर्वाचन अधिकारी	262660000
103-नामावली	467200000
105-संसद का निर्वाचन	36800000
106-राज्य विधानमण्डल का निर्वाचन	1302000000
108-मतदाताओं को फोटोपरिचय पत्र जारी करना	40000000
कुल योग	2108660000

अध्याय—13 (मैन्युअल—12)

अनुदान/स्व सहायता कार्यकमों के कियान्वयन की रीति

13.1 निरंक

अध्याय-14

(मैन्युअल-13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

निरंक
निरंक

टीप- विभाग द्वारा वर्तमान में किसी प्रकार की सुविधा देव नहीं है।

अध्याय-15 (मैन्युअल-14)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक / नियम

15.1 कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विभाग द्वारा सम्पादित किए जाने वाले के लिए निर्धारित प्रक्रिया / निर्देश चुनाव से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश व समय-समय पर प्रकाशित किए गए निर्देशों के संकलन में वेबसाईट http://www.ceochhattisgarh.nic.in पर उपलब्ध है।

अध्याय—16 (मैन्युअल—15)

इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचनायें

16.1 विभाग द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए निर्धारित प्रक्रिया/निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश व समय-समय पर प्रकाशित किए गए निर्देशों के संकलन में वेबसाईट http//www.ceochhattisgarh.nic.in पर उपलब्ध है। इसका विवरण निम्नानुसार है:-

Φ.	सूचना का विवरण	रिमार्क
1	आवंटन / वितरण	
2	अधिकारियों / कर्मचारियों की जानकारी	http://www.ceochhattisgarh.nic.in पर उपलब्ध है।
3	वेतन देयक	
4	विभागीय संरचना	विभागीय संरचना की जानकारी विभागीय वेबसाईट http://www.ceochhattisgarh.nic.in पर उपलब्ध है।
5	विभाग के समस्त कियाकलाप एवं एक्टस	विभाग के समस्त कियाकलाप की जानकारी वेबसाईट http://www.ceochhattisgarh.nic.in पर उपलब्ध है।

अध्याय-17 (मैन्युअल-16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

- 17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण :--
 - विभाग द्वारा प्रसारित किए जाने वाले आदेश या निर्देश
 - अखबारों के द्वारा
 - सूचना पटल
 - अभिलेखों का निरीक्षण
 - दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था
 - उपलब्ध विभागीय मैन्युअल
 - विभाग की वेबसाईट
 - मतदाता सहायता केन्द्र
 - अन्य तकनीकी माध्यमों से

अध्याय—18 (मैन्युअल—17)

अन्य उपयोगी जानकारियां

18.1 कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत बनाए गये नियमों में उल्लेखित है। ये नियम कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाईट http://www.ceochhattisgarh.nic.in पर उपलब्ध है।

Back

Budget Allocation/Distribution Report DDOCODE:1121067(CHIEF ELECTORAL OFFICER CG RAIPUR)

DM-MH-SMH-MH-SEG-SCH- OB-DH-VC	Budget Allocated To DDO	Budget Distributed By DDO	Self Expenditure	Balance	Total Expenditure Of DDO's	Total Expenditure (self exp. + exp of ddo's)
29-2015-00-102-0000-2409-01-001-V	165000000	127600000	7123560	30276440	40766851	47890411
19-2015-00-102-0000-2409-01-003-V	62700000	43200000	2428526	17071474	13201470	15629996
29-2015-00-102-0000-2409-01-006-V	3100000	1690000	252890	1157110	723413	976303
29-2015-00-102-0000-2409-01-014-V	3100000	2021000	270710	808290	776322	1047032
29-2015-00-102-0000-2409-01-015-V	2000000	678524	0	1321476	614603	614603
29-2015-00-102-0000-2409-01-020-V	1500000	940000	0	560000	0	0
29-2015-00-102-0000-2409-01-024-V	100000	0	0	100000	0	0
29-2015-00-102-0000-2409-02-004-V	2100000	. 0	695452	1404548	695452	1390904
29-2015-00-102-0000-2409-02-005-V	700000	0	132048	567952	132048	264096
29-2015-00-102-0000-2409-03-001-V	0000001	618542	504473	476985	509093	1013566
29-2015-00-102-0000-2409-03-002-V	50000	0	0	50000	0	0
29-2015-00-102-0000-2409-03-006-V	150000	0	0	150000	0	0
29-2015-00-102-0000-2409-04-001-V	1200000	660000	0	540000	5000	5000
29-2015-00-102-0000-2409-04-002-V	1800000	594000	206454	999546	278842	485296
29-2015-00-102-0000-2409-04-003-V	2700000	1798230	87011	814759	104511	191522
29-2015-00-102-0000-2409-04-004-V	70000	33000	0	37000	1995	1995
29-2015-00-102-0000-2409-04-005-V	3200000	1530000	189977	1480023	403509	593486
29-2015-00-102-0000-2409-04-006-V	-	33000	0	47000	1000	1000
29-2015-00-102-0000-2409-04-007-V	719,000,000,000,000	1480000	0	1520000	129619	129619
29-2015-00-102-0000-2409-04-008-V		1000000	31447	468553	198148	229595
29-2015-00-102-0000-2409-04-009-V	3500000	2229600	0	1270400	0	0
29-2015-00-102-0000-2409-04-011-V	1700000	0	5608	1694392	5608	11216
29-2015-00-102-0000-2409-04-012-V		0	4759	595241	4759	9518
29-2015-00-102-0000-2409-05-001-V		0	0	200000	0	(
29-2015-00-102-0000-2409-05-002-V	2000000	0	181106	1818894	181106	362212
29-2015-00-102-0000-2409-24-001-V	600000	0	20290	579710	20290	40580
29-2015-00-102-0000-2409-89-000-V		0	0	10000	0	(
29-2015-00-103-0000-3307-01-016-V	236500000	0	0	236500000	O	(
29-2015-00-103-0000-3307-09-000-V	150000000	9000000	4111972	136888028	5096092	9208064
29-2015-00-103-0000-3307-43-000-V	80000000	30290700	0	49709300	157361	157361
29-2015-00-103-0000-3307-89-000-V	700000	330000	0	370000	40865	40865
29-2015-00-105-0000-4311-01-001-V	1200000	0	0	1200000	0	(
29-2015-00-105-0000-4311-01-003-V	100000	0	0	100000	(
29-2015-00-105-0000-4311-01-016-V	100000	0	0	100000	(
29-2015-00-105-0000-4311-03-001-V	400000	0	0	400000	(
29-2015-00-105-0000-4311-43-000-V	35000000	29503	0	34970497	29503	29503
29-2015-00-106-0000-4006-01-001-V	100000000	24775200	0	75224800	29880	29880
29-2015-00-106-0000-4006-01-003-V	2000000	- 0	0	2000000	(
29-2015-00-106-0000-4006-01-016-V	599000000	5796000	0	593204000	5796000	579600
29-2015-00-106-0000-4006-03-001-V	1000000	0	0	1000000	(
29-2015-00-106-0000-4006-43-000-V	240000000	11641955	0	228358045	2094068	209406
29-2015-00-108-0000-9503-43-000-V	40000000	1859620	17314418	20825962	17533538	
29-4070-00-001-0000-2409-34-001-V	650000	0		A STATE OF THE STA		
29-4070-00-001-0000-2409-34-003-V	650000	0		110000000000000000000000000000000000000		

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची

• ф	नाम	पदनाम
1	2	3
1	श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले (IAS)	मुनिप.
2	श्री बिपिन मांझी (IAS)	संयुक्त मु.नि.प.
3	डॉ. के.आर.आर.सिंह	संयुक्त मु.नि.प.(स्वीप)
4	श्रीमती अदिति वासनिक	उप संचालक (वित्त)
5	श्री आशीष कुमार टिकरिहा	उप मुनिप
6	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो	उप मुनिप
7	श्री विनय कुमार अग्रवाल	उप मुनिप
-8	श्री रूपेश कुमार वर्मा	सहाम् नि.प.
9	श्रीमती शारदा अग्रवाल	सहा.मू.नि.प.
10	श्री अरविंद शर्मा	सहा मु नि प
11	श्रीमती रहिम वर्मा	सहामु नि.प.
12	श्री प्रकाश त्रिपाठी	सहा.मृ.नि.प.
13	श्री विनोद कुमार आगलावे	सिस्टम मैनेजर
14	श्री किशोर कुमार डे	अनुभाग अधिकारी
15	श्री हार्दिक श्रीवास्तव (तहसीलदार)	अनुभाग अधिकारी (पद विरुद्ध)
16	श्री कमल किशोर साहू (तहसीलदार)	अनुभाग अधिकारी (पद विरुद्ध)
17	श्री सतीश काले	सहायक सांख्यि. अधि.
18	श्रीमती राजेश्वरी सिंह	ग्रन्थपाल
19	श्री दुर्गा प्रसाद गांवरे	शीघ लेखक (वरिष्ट)
20	श्री विनोद सोनकेंसरिया	सहायक वर्ग-1
21	श्री मयंक अग्रवाल (नायब तहसीलदार)	सहायक वर्ग-1 (पद विरूद्ध)
22	श्री गैंदलाल साहू	मानचित्रकार
23	श्रमती प्रदीपा थवाईत	सहायक प्रोग्रामर (संविदा)
24	श्रीमती किरण वर्मा	सहायक ग्रेड-02
25	श्री संजय कुमार ठाकुर	सहायक ग्रेड-02
26	श्री अजय कुमार कुर्र	सहायक ग्रेड-02
27	श्री भानु राम साह्	
28	श्री योगेश कुमार साह	सहायक ग्रेड-02
29	श्रीमती कविता प्रधान	सहायक ग्रेड-02
30	श्री बाबूलाल जायसवाल	सहायक ग्रेड-02
XC		भृत्य
31	श्री तिलक निर्मलकर	भृत्य (ईपिक)
32	श्री गोपीचन्द साहू	फरार्श (कलेक्टर दर)
33	श्रीमती सरोज साण्डेकर	स्वीपर (कलेक्टर दर)

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, (छ.ग.) पद-संरचना की जानकारी (10 /05/2023 की रिथति में)

春田春	घदनाम	49	ल स्वीकृत		योग (3+4+5)	भरे पद	रिका पर
		स्थायी	श्रीवेदा	कलेक्टर वर के पद			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	1	-	-	1	1	0
2	अतिरिक्त मुनिप	1			1	1	0
3	संयु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	1			1	1	0
4	संयु. मुख्य निर्वोचन (SVEEP)	1			1	1	0
5	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	2	-	-	2	2	0
6	उप संचालक (वित्त)	1	-	-	1	1	0
7	सहा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	2		-	2	2	0
8	अनुभाग अधिकारी	4	-		4	3	1
9	सिस्टम मैनेजर	1		-	1	1	0
11	ग्रथपाल	1	121	-	1	1	0
12	सहा, सांख्यिकीय अधिकारी	1	(*)	(i=)	1	1	0
13	शीघलेखक (वरिष्ठ)	1	-	-	1	1	0
14	सहायक प्रोग्रामर	2	(40)	-	2	1	1
15	सहा. वर्ग-1	5	-	-	5	2	3
16	लेखापाल	1	-	(-	1	0	1
17	शीघलेखक (कनिष्ठ)	3	-	-	3	0	3
18	मानचित्रकार	1	-		1	1	0
19	सहा.वर्ग-2	6		-	6	6	0
20	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा)	2	2	-	4	0	4
21	सहा वर्ग-3	8	-	-	8	0	8
22	वाहन चालक	5	_	-	5	0	5
23	दफतरी	1	-	-	1	0	1
24	जमादार	1	-	-	1	0	1
25 7	मृ त्य	10	-		10	1	9
26	वौकीदार		-	2	2	2	0
_	हर्राश	-		1	1	1	0
	चीपर	-		1	1	1	0
	गेग	62	2	4	68	31	37

" D"

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़

डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर दूरमाष — 0771—2236685 फैक्स — 0771 — 2224476

website:ceochhattisgarh.nic.in, e-mail ID: ceoraipur.eg@nic.in

क्रमाक 97/स्था./कार्य.वि./2022 2839

रायपुर, दिनांक! 12 7 0 र 2023

//निर्वाचन कार्य-विभाजन आदेश// राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 एवं लोकसभा निर्वाचन-2024 के सुचारू संचालन हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थ

अधिकारियों / कर्मचारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश जारी किया जाता है:-

世	शाखा प्रभारी अधिकारी का नाम व पदनाम	शास्त्रा का नाम	नस्तियों का संधारण	सहयोगी अधिकारी/ कर्मचारी क नाम
1	2	3	4	5
1	श्रीमती आदिति वासनि क (उप संचा वित्त)	1	अधिकारियों / कमंद्रारियों की पदस्थायना संबंधी रामस्त कार्य। वितन निर्धारण एवं जांच। पदोन्नित, थिमागीय जाच, निलम्बन, संविलियन संबंधी समस्त कार्य। अधिकारियों / कमंद्रारियों की वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि अवकाश स्वीकृति थिकित्सा देयक संबंधी सगस्त कार्य। अधिकारियों / कमंद्रारियों की सेवा पुरितका का सधारण का कार्य। प्रतिनियुक्ति तथा संविद्या के अधिकारियों को संतान शिक्षा मत्ता, एवं चिकित्सा देयक संबंधी कार्य। मारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संतान शिक्षा मत्ता, एवं चिकित्सा देयक संबंधी कार्य। जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन पर्यवेक्षक की नियुक्ति के संबंध में । विधानसभा / कोकसभा सामान्य गिर्वाचन के मानदेय का प्रस्ताव कैयार करना। कार्यालयोन न्यायालयीन प्रकरण एवं समस्त हिट याचिकाओ पर कार्यवाही। WP No. 490/2005 & 231/2005 के संबंध में मासिक रिपोर्ट आयोग को प्रेशित करना। निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षकों संबंधी कार्य कार्यालयोन दूरभाष / इन्टरनेट संबंधी देयकों का भुगतान कार्यवाही शाखा से संबंधित राज्यसभा / लोकसमा तारांकित / अतारांकित प्रश्न अन्य राज्यों में होने वाले निर्याचनों के लिए भारत निर्याचन आयोग द्वारा अन्य राज्यों में होने वाले निर्याचनों के लिए भारत निर्याचन आयोग द्वारा इस राज्यों में संबंधित शिकायतों का प्रेक्षक नियुक्त सम्बंधी कार्य शाखा शे संबंधित शिकायतों को प्रेक्षक नियुक्त सम्बंधी कार्य	श्री किशोर कुमार है (अनुभाग अधिकारी) श्री गेंदलाल साहू मानियत्रकार

Ping 123

(1)

1

ক ক	शाखा प्रभारी अधिकारी का	शास्त्रा का नाम	नस्तियों का संधारण	शास्त्रा अन्तर्गत सहयोगी अधिकारी/ कर्मधारी का नाम
	नाम व पदनाम		4	5
1	2	3	प अपना सामा वर्ष	श्री किशोर कुमार है
1			वित्तीय वर्ष हेतु बजट / पुनरिक्षित बजट तथा आगामी वर्ष हेतु अनुमानित बजट तैयार कर शासन को प्रेपित करना एव आवश्यकतानुसार राशि का पुनिविनयोजन करना। प्रावधानित बजट में से जिलों को आवंटन जारी करना। यित्तीय वर्ष हेतु प्रावधानित बजट के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्ताय तैयार कर शासन को प्रेपित करना। आय व्यय की जिलों तथा कार्यालय से संकलित कर शासन को प्रेपित करना। आय व्यय की जिलों तथा कार्यालय से संकलित कर शासन को प्रेपित करना। महालेखाकार से प्राप्त जिलों की आडिट रिपोर्ट पर कार्यावदी। जिलों का लेखा निरीक्षण कार्य। कार्यालय मुनिप से संबंधित आय—व्ययों का महालेखाकर द्वारा किये गए आडिट करने के पश्चात प्रस्तुत प्रतिवेदन का प्रतिजत्तर तैयार कर महालेखाकर को प्रस्तुत करना। महालेखाकार द्वारा आय—व्यय की तिमाही व्यय के आकड़े की प्रेपित तीडी से समस्त जिलों का तिमाही व्यय लेखा मिलान पश्चात शासन को प्रतिवेदन प्रेपित करना। सवालनालय कोष लेखा द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालयों का जाँडिट के संबंध में कार्यवाही करना। आडिट आपत्तियों का निराकरण। निर्वाचन व्यय जैसे वाहन किराया, पी.ओ.एल., लेखन सामग्री विविध व्यय, विडियोग्राफी, लाईट माईक शिमयाना हेतु प्रारंभिक वजट आवंटन प्रति विधानसमा क्षेत्र के मान से जारी करना तथा जारी आवंटन से अधिक हुये व्ययों के प्रस्ताद का परीक्षण य वित्तिय स्थीकृति संबंधी कार्यवाही निर्वाचन के दौरान घायल / मृत्यु होने पर अनुग्रह प्रतिकर प्रस्ताद पर कार्यवाही । बी.एल.ओ. तथा निर्वाचन कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों के मानदेय हेतु आवंटन जारी करना। वित्तीय स्थीकृति आवंश जारी करना।	ही किशोर कुमार है (अनुभाग अधिकारी) श्री भानूराम साहू (सह। वर्ग—2) श्री टी.एस.नेताम कुशल परिचारक (संलग्न)

Pring 17/29

(2)

41	शाखा प्रभारी अधिकारी का नाम व पदनाम	शास्त्रा वत नाम	गरिसयों का संधारण	शास्त्रा अन्तर्गत सहयोगी अधिकारी/ कर्मदारी का नाम
1	2	3	4	5
3	श्री विनय कुमार अग्रनाल (उप.मु.नि.प.) निर्वाचक नामावली		निर्वाचक नामावितयों का विशेष गहन / संक्षिप्त / सतत् पुनरीक्षण सेवा निर्वाचकों की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य निर्वाचक रिजरट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रिजरट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति एवं राजपत्र में प्रकाशन. MIS Entry/ATR संबंधी रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करना निर्वाचक नामावितयों का विशेष गहन / संक्षिप्त / सतत् पुनरीक्षण हेतु लगने वाले आवश्यक प्रपत्रों की मागसख्या एकत्रित कर स्टोर शाखा के माध्यम से प्रपत्रों का मुद्रण शाखा से संबंधित राज्यसभा / लोकसभा तारांकित / अतारांकित प्रश्न एवं शाखा से संबंधित शिकायतों का निराकरण	श्री विनोद कृमार सोनकेसरिया (सहा.वर्ग-1) श्री शंकर लाल साहू, प्रधान पाठव (संलग्न)
		आई.टी. सेल	जाई टी. शाखा / कम्प्यूटर सेल संबंधी समस्त कार्य / नियत्रण ई.सी.आई. द्वारा प्रदाय समस्त सॉफ्टवेयर (सुगम, सुविधा, समाधान, सीविजिल, एन.जी.एस. एवं अन्य) साईवर सिक्यूरिटी. मु.नि.प. कार्या. वेबसाईट का संचालन एवं अद्यतन स्थिति ETPBS & Postal Ballot मतदान केन्द्रों का गठन एवं युवितयुक्तकरण एवं कट्रोल देवल का अपडेशन। MIS Entry/ATR संबंधी रिपोर्ट आयोगं को प्रेषित करना ERO NET से संबंधित कार्य। EVM, VVPAT, EMS से संबंधित कार्य। EVP से संबंधित कार्य। मुगल शीट तैयार कर जानकारी संकलित करना। विधानसभा / लोकसमा संबंधी साख्यकीय आंकड़े व पारेणाम पुस्तिका की सेटिंग्स्/सु-साज्जित व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश किया जाना। शाखा से संबंधित राज्यसभा / लोकसमा तारांकित / अतारांकित प्रश्न शाखा से संबंधित जानकारी समस्त शाखाओं से प्राप्त करना तथा आवश्यक व्यवस्था करना।	श्री विनोद आगलावे (सिस्टम मैनेजर) श्री हार्दिक श्रीवास्तव, (अनुमाग अधिकारी) श्रीमती प्रदीमा थवाईत (सहा.प्रो. संविदा)

mia 129

(3)

₩.	शाखा प्रभारी अधिकारी का नाम व	शास्त्रा का नाम	निस्तयों का संधारण	शाखा अन्तर्गत सहयोगी कर्मयारी का नाम
Savi	पदनाम		A A	5
4	श्री अपूर्व विशेष	EPIC	मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं वितरण संबंधी सम्पूर्ण	श्री मंयक अग्रवाल,
4	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो (उपमु.नि.प)	मतदान केन्द्र निर्याचन व्यय लेखा एवं अनुवीक्षण EEM (CELL)	कार्य । मतदान कंन्द्रों का पुनगर्ठन / युक्तियुक्तकरण एवं मूलभूत सुविधा । नवसल प्रभावित क्षेत्रों के लिये मतदान केन्द्रों का अस्थाई स्थानांतरण । मतदान कंन्द्रों के मूलभूत सुविधाओं संबंधी निर्देश संवदनशील एवं अतिसंवदनशील मतदान केन्द्रों एवं Vulnerability Mapping की जानकारी निर्वाचन के दौरान क्रिटिकल घटनाओं की विडियोग्राफी / मतदान कंन्द्रों पर वेब कास्टिंग हेतु निर्देश प्रधार सामग्रियों के मुद्रण की सूचना के संबंध में राज्य के सभी मुद्रकों को निर्देश व बैठक सूचना जारी करना । राजनैतिक वलों हारा प्रकाशन कराये जाने वाले बैनर / पोस्टर व अन्य प्रधार सामग्रियों के मुद्रण की सूचना के संबंध में राज्य के सभी मुद्रकों को निर्देश व बैठक सूचना जारी करना । राजनैतिक वलों हारा प्रकाशन कराये जाने वाले बैनर / पोस्टर व अन्य प्रधार सामग्रियों के मुद्रण की सूचना के संबंध में राज्य के सभी मुद्रकों को सूचना जारी करना । निर्वाचन व्यय प्रमुवीश की सूचना व नमूने की पृथक—पृथक नरती व पंजी का संधारण । सक्षित रिपोर्ट तैयार किया जाना । निर्वाचन व्यय अनुवीशण के संबंध में आयोग के निर्देश व व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति । क्षित्र व्यय अनुवीशण के तहत विभिन्न दलों के गटन व जब्दी की जानकारी प्राप्त करना । निर्वाचन व्यय अनुवीशण के तहत प्रचार सामग्रियों के दर का निर्वाचन व्यय अनुवीशण के तहत प्रचार सामग्रियों के दर का निर्वाचन व्यय अनुवीशण के तहत प्रचार सामग्रियों के दर का निर्वाचन व्यय अनुवीशण के तहत प्रचार सामग्रियों के दर का निर्वाचन व्यय अनुवीशण के तहत प्रचार सामग्रियों के दर का निर्वाचन व्यय अनुवीशण के तहत प्रचार सामग्रियों के प्रयोग के निर्देश जारी करना । अन्यार्थियों द्वार दाखिल किये गये व्यय लेखा संबंध में आयोग के निर्देश जारी कर सामग्रियों को व्यय लेखा के संबंध में जारी किये गये नीटिस पर आवश्यक कार्यवाही व जिलेवार नस्ती का संबारण । लेखा दाखिल करने में असफल अन्यर्थियों को आयोग द्वार विद्रा ति के तिवंश में असफल अन्यर्थियों को आयोग द्वार । निर्वाहत सुवी का राजपत्र में प्रकाशन । पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड व ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में आयोग के निर्वेश ।	सहा.वर्ग -1 श्री अमिर
			लेखा दाखिल करने में असफल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निरहित सूची का राजपत्र में प्रकाशन। पारदर्शिता के तहल पार्टी फण्ड व ऑडिंट रिपोर्ट के संबंध में	



5	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो (उप मुनि. प) आहरण एवं सवितरण अधिकारी (D.D.O)	लेखा	आहरण एवं सवितरण अधिकारी (D.D.O.) कार्यालयीन अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान तथा,CPS/GPS की कटौत्री तथा जमा किया जाना अधिकारियों / कर्मचारियों के Income Tax की समय पर कटौत्री। लेखा शाखा, (GST a Income Tax संबंधी कार्य) समस्त भत्तों की स्वीकृति संबंधी कार्य महालेखाकार द्वारा क्रय/भुगतान संबंधी नस्तीयों का अंकेक्षण व आपत्ति कण्डिकाओं का निराकरण की कार्यवाही।	श्री कमल किशोर साहू (अनुभाग अधि.) सुश्री शिल्पा विनोदिया, (संलग्न- सहा.वर्ग-3)
6	श्री यू.एस. अग्रवाल (उप मु.नि.	राजनैतिक दलों का पंजीकरण	राजनैतिक वलों का पंजीकरण संबंधी आयोग हारा जारी अधिसूचनाओं का राजपत्र में प्रकाशन, प्रतीक आबंदन एवं राजनैतिक दलों हारा प्रस्तुत फार्म-ए.बी एवं	श्री हार्दिक श्रीवास्तव अनु अघि. श्रीमती किरण
	ч.)		स्टार प्रचारकों की सूची	वर्मा (सहा.वर्ग-2)
		See 1	निर्वोचन की घोषणा संबंधी प्रेस नोट जारी होने के उपरांत सर्व-संबंधितों को आचार संहिता प्रभाव गिलता संबंधी निर्दे । जारी करना।	श्री किशोर कुमार डे (अनु,
	F	आदर्श आवार संहिता	आचार संहिता अन्तर्गेत प्रतिबंधों संबंधी निर्देश जारी किया जाना। सम्पति विरूपण की दैनिक जानकारी एकत्रित कर संकलित रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करना	अधिकारी) श्रीमती किरण वर्मा
		мсс	स्क्रीनिंग कमेटी का गठन एवं आचार संहिता प्रभावशील अवधि के दौरान प्रतिबंधित कल्याणकारी योजनाओं की अनुमति के सबंध में प्राप्त आयेदनों पर आयोग की अनुमति प्राप्त किया जाना। (प्रत्येक आयेदनों के लिये पृथक-पृथक नस्ती तैयार करना)	(सहा. वर्ग-2)
		शिकायत सेल	आयोग के पत्र दिनांक 02 जून, 2023 के अनुक्रम में स्थानांतरण/पदस्थापना तथा आयार संहिता उल्लंधन संबंधी आयोग/जिला/अन्य से प्राप्त शिकाधतों की जींच व निशकरण तथा पंजी संधारण	श्री किशोर कुमार डे (अनु, अधिकारी)
		and the state of t	NGRs से संबंधित शिकायती का कॉल सेन्टर से समन्वय कर निराकरण	श्री भानू राम साह् सहा,वर्ग-2
		अधिसूचना	निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा तथा निर्वाचन से संबंधित समस्त अधिसूचनाओं का राजपत्र में प्रकाशन	श्री विनोद कुमार
	c ji	नाम	नाम निर्देशन की जानकारी आयोग को प्रेषित करना	सोनकेसरिया (सहा.वर्ग-1)
		निर्देशन / मतपत्र मुद्रण	प्ररूप-७क व राजपत्र प्रकाशन एवं मतपत्रों का मुद्रण	श्री शंकर साह् प्रधान पाठक (सलग्न)

Dina 129

		1.1	١.	
	7	. •	c	
			_	
72				

€₹ IBi	शस्त्रा प्रभारी अधिकारी का नाम व पदनाम	शास्त्रा का नाग	निस्तयो का सधारण	शास्त्रा अन्तर्गश संहयोगं कर्मबारी का नाम
3	2	3	4	5
7 श्री आशीष कुमार टिकरिहा		A	सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आयोग के निर्देश प्रसारि करना सुरक्षा व्यवस्था हेतु फोर्स डिप्लॉयमेन्ट प्लान एव	(ग्रन्थपाल), क् अन्नपूर्णा यादव,
	(उप.मु.नि.प.)		कम्यूनिकेशन प्लान	कुशल परिचारक (सल
			LWE क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था	
			शराय विक्री पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही	
		सुरक्षा एवं संचार व्यवस्था	सीमावर्ति राज्यों के अन्तर्गत सबंधित जिले के जिल निर्याचन अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों में समन्वय बैठक	
			कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की नियुक्ति, संबद्दर ऑफिसर जोनल ऑफिसर एवं मजिस्ट्रेट तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य ड्यूटि	
			कानून एवं व्यवस्था की दैनिक रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करना	
-	8 <u>I</u>	परिवहन	RTO के साथ समन्वय तथा मत्वान दलों के परिवहन हेतु वाहनों की व्यवस्था व अधिगृहण निर्देश तथा अनापितायां प्रदान करना	
Section 2			मतदान दलों के परिवहन हेतु कट चार्ट की जानकारी एकत्र करना	
			पहुचिहीन मतदान केन्द्रों में मतदान देलों के परिवहन हेतु हेलिकॉप्टर की व्यवस्था	
-		हेलिकॉप्टर	एयर एम्यूलेस की व्यवस्था एवं प्रबंधन एवं निर्वाचन के दौरान उपयोग किये गये हेलीकाप्टरों एवं ऐयर एम्युलेंस हेतु प्राप्त देशकों पर कार्यवाही करना।	
-		निर्वाचन याचिका / पुस्तकालय	न्यायालयीन प्रकरण एवं निर्वाचन याचिका संबंधी कार्यवाही। लायबेरी में पुस्तकों का एकत्रीकरण/व्यवस्थित	*
1		Zenanna	रख-रखाव/पंजी संधारण/पुस्तकों का क्रय	
		901/	PPES Software/ मतदान दलों के गठन एवं रेण्डमाईजेशन एवं मतदान दलों की स्वानगी/वाषसी संबंधी निर्देश कार्य	श्री विनोद कुमार सहैनकेसरिया (सहा,वर्ग—1) श्री सदीपवर दीवान प्रधान पाठक(संखरन)
			अयकाश प्रकरण / स्वास्थ्य परीक्षण	श्री गैन्दलाल साहू (मानचित्रकार)

ma 123

(b)

9. T	शास्त्रा प्रभारी अधिकारी का नाम व पदनाम	शाखा का नाम	नस्तियों का सधारण	शाखा अन्तर्गत सहयोगी कर्मचारी का नाम
1	2	3	/ 4	5
	श्री आशीष कुमार		इन्हेक्स कार्ड में साख्यकीय आकडे प्राप्त कर मिलान करना व आयोग को प्रेषित करना।	श्री हार्दिक श्रीदास्तव (अनु अधिकारी) श्री अजय कुरें
	टिकरिहा (खप. गु.नि.प.)		इन्डेक्स कार्ड के आंकड़े के आधार पर परिणाम पुस्तिका तैयार करना	(सहायक वर्ग-2)
			राज्य एवं जिला स्तरीय मतदाता सूचियों / मतदाता कोटी परिवय पत्रों संबंधी आंकड़े संकतित करना ।	001
9	श्री रूपेश कुमार वर्मा		EVM. VVPAT परिवहन एवं मासिक / ईमासिक निरीक्षण प्रतिवेदन का संप्रेषण	श्री विनोद कुमार सोनकेसरिया (सहा,वर्ग-1)
	(सहा मु,ति.प.)	निर्वाचन निर्देश एवं	गैर निर्वाचन अवधि के दौरान आयोग से प्राप्त समस्त महत्वपूर्ण निर्देशों को सर्वसंबंधितों को जारी किया जाना	श्री संदीपघर दीवान, प्रघा पाठक (संलग्न)
		मतदान की जानकारी	महादान प्रतिशत की जानकारी निर्धारित प्रपन्न में प्रत्येक 02 घन्टे में	W
			मतदान के अगले दिवस अतिम रिपोर्ट प्रातः 7:00 बजे की स्थिति में प्रेषित करना	
			राज्यसमा द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु जारी प्रेस नोट सर्वसवधितो के संज्ञान हेतु पत्र जारी करना	श्री किशोर कुमार है (अनुभाग अधिकारी)
			शज्यसमा हिवार्षिक निर्वाचन हेतु जारी अधिसूधनाओं का राज्य के राजपत्र में प्रकाशन	श्रीमती किरण वर्मा (सहा.वर्ग-2)
	3	राज्य समा हिवार्षिक	राज्यसमा द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु रिटर्निग/सहावक रिटर्निग अधिकारी की नियुक्ति।	
		निर्वाचन	शाज्यसभा हिवार्षिक निर्वाचन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना	
			राज्यसमा द्विवार्षिक निर्वाधन हेतु मीडिया प्रतिनिधियो हेतु । प्राधिकार पत्र जारी करना	
			राज्यसमा द्वितार्थिक निर्दाचन हेतु मनदान् / मनगणना संबधी रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करना	
the state of the s		राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	श्राज्य श्तरीय प्रशिक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्य	श्री कमल किशोर साह अनु अधिकारी श्री भनोज कुमार देवागन सहा वर्ग—2 (राजग्न)
		शब्द्रपति/ सप	राष्ट्रपति / सम शब्द्रपति गिर्वोधन हेतु जारी प्रेस नोट सर्वसविधितो के संज्ञान हेतु पत्र जारी करना	श्री किशोर कुमार डे (अनुभाग अधिकारी) श्री मानूराम साहू
		राष्ट्र पति निर्वाधन	शष्ट्रपति ∕ उप राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचनाओं का राज्य के राजपत्र में प्रकाशन राष्ट्रपति ∕ उप राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी	(सहा वर्ग-2)
			की नियुक्ति। शस्ट्रपति/सम् राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु आवश्यक निर्वेश जारी	
-			करना राष्ट्रपति / उप राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु मीडिया प्रतिनिधियों हेतु	
1			प्राधिकार पश्च जारी करना	

Jina 1/2

न्स. क.	शास्त्रा प्रमारी अधिकारी का नाम व पदनाम	शास्त्री का भाग	नरितयों का सधारण	शाखा अन्तर्गत सहयोगी कर्मधारी का नाम
1	2	3	4	5
10	श्रीमती शारदा अग्रवाल (सहा मू नि प.)		जिला एवं राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन व निर्देश बावत्। नियंत्रण कक्ष की स्थापना तथा मिडिया सेल का गठन	श्री कमल किशोर साहू, अनु. अधि. श्री मंयक अग्रवाल, सहा.वर्ग-1
		MCMC	राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के समक्ष प्राप्त अपील	श्री अमित कुमार
		(CELL) मीडिया प्रमाणन	मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण के तहत प्रचार सामग्रियों / माध्यमों के दर का निर्धारण	कानूनगो, डा.ए. ऑ. (संलग्न)
		प्रमाणन एवं अनुवीक्षण	राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुयीक्षण समिति द्वारा रेडियों / टी.की.चैनल पर विज्ञापनों के प्रकाशन की अनुमति बावत्।	
			मीडिया कर्मियों को मतदान व मतगणना स्थल में प्रवेश हेतु प्राधिकार पत्र जारी करना	
			अभ्यर्थियों के पेड-न्यूज संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में एकत्र करना	
11	डॉ. के.आर आर.सिंह, (संयुक्त मृ. नि.प.) स्वीप		निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन / संक्षिप्त / सतत् पुनरीक्षण एवं निर्वाचन मतदान हेतु निर्वाचकों के अधिक से अधिक सहभागिता हेतु मतदाता जागरूकता अभियान संबंधी समस्त कार्य	श्री अजय कुरैं (सहा वर्ग—2)
	श्रीमति शारदा		बेस लाईन सर्वे संबंधी कार्य	
	अग्रवाल,	मतदाता	राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजन संबंधी समस्त कार्य	
	(सहा.मु.नि.प)	जागरूकता अभियान, मीडिया सेल,	निर्योचन कार्य की तैयारी के संबंध में भारत निर्याचन आयोग की बैठक के आयोजन की तैयारी एवं सम्पूर्ण व्यवस्था	
		कॉल	, (प्रेस कॉन्फ्रेंस)मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक आयोजन	
		सेन्टर व ^र अन्य	राजनैतिक दलों की बैटक व अन्य के आयोजन की तैयारी एवं सम्पूर्ण व्यवस्था	
			बैठक की कार्यवाही विवरण तैयार करना प्रोटोकॉल कार्य अन्तर्गत आयोग व अन्य शज्यों के आगतुकों का अतिथि सत्कार संबंधी संपूर्ण कार्य	
			शाखा से संबंधित राज्यसमा/लोकसभा तारांकित अतारांकित प्रश्न /	
			कॉल सेन्टर	

Juna 37/7/23

(8)

₹Ĭ.	शाखा प्रभारी	शाखा का	गरितयों का संघारण	शास्त्रा अन्तर्गत सहयोग
母.	अधिकारी का नाम व पदनाम	नाम	NEWSCHAR NO. THUNKEN	कर्मधारी का नाम
1	2	3	4	5
12	श्रीमति रश्मि वर्मा (सहा. मु.मि.म)		रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति । जिला निर्वाचन कार्य योजना का संकलन व आयोग क प्रेषित किया जाना	श्रीमती किरण वस् (सहा वर्ग-2)
		गोपनीय सील	आयोग से प्राप्त गोपनीय सील का वितरण व निर्देश	
		जिला स्तरीय प्रशिक्षण	जिला स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण संबंधी संपूर्ण कार्य ।	श्री कमल किशोर साहू अनु अधिकारी श्री मनोज कुमार देवागंन,सहा वर्ग – 2 (संलग्न)
			मतगणना स्थलो का प्रस्ताव प्राप्त कर आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना	श्री गंयक अग्रवाल, सहा.वर्ग-1
		मतगणना	मतगणना कार्य हेतु अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति।	श्री अमित कुमार कानूनगो, डा.ए.ऑ.
Chanta	-		मतगणना उपरांत परिणाम संबंधी आवश्यक दस्तावेज आयोग को भेजने बाबत्।	(संलग्न)
पूर प्राप्त प्राप्ति मुद			निर्बाधन के उपयोग में लगने वाले आवश्यक समस्त फार्म/लिफाफों, पेपर सीलों, विभिन्न निर्देश पुरितका का मुद्रण एवं वितरण वेयर हाउस (EVM. VVPAT) से सर्वधित संपूर्ण कार्य निर्वाधन हेतु आयोजित किये जाने वाले वेवकों हेत मोजन/जलपान की समुधित व्यवस्था कार्यालयीन लेखन— सामग्रियों /फर्नीचर उपकरण य अन्य सामग्रियों का क्रय एवं स्टॉक पंजी का संधारण अपलेखन संबंधी कार्य। रिकॉड रूम में निर्तियों का रख—रखाय व पंजी संधारण कार्यालय की साफ—सफाई संबंधी व्यवस्था करना। कार्यालय की साफ—सफाई संबंधी व्यवस्था करना। कार्यालय में होने वाले बैठकों हेतु जलपान की व्यवस्था शाखा से संबंधित राज्यसभा/लोकसभा तारांकित/अतारांकित प्रशन शाखा से संबंधित शिकायतों का निराकरण कार्यालयीन लेखन— सामग्रियों /फर्नीचर उपकरण व अन्य सामग्रियों का प्रतिवर्ष मीतिक सत्यापन	साह्, अनु अधिकारी श्री प्रदीप चौरसिया (अधीक्षक) (संलग्न) श्री संजय कुमार ठाकुर (सहा, वर्ग-2)
1000	films —	ऑब्जेवर / माइको ऑब्जेवर	विधानसभा निर्वाचन/लोकसभा निर्वाचन हेतु नियुक्त ऑब्जेंबर से संबंधित संपूर्ण कार्य। भाईको ऑब्जेंबरसे से संबंधित संपूर्ण कार्य।	श्री अजय कुमार कुरैं. सहा वर्ग-02 श्री विनोद कुमार सोनकेसरिया
1				(सहा.वर्ग-1) श्री संदीपघर दीवान. प्रधान पाठक(संलग्न)

Jinon 123

(9)

₹. \$	शाखा प्रभारी अधिकारी का नाम व पदनाम	क्षान्त्रा का नाम	गरितयों का संधारण	शास्त्रा अन्तर्गत सहयोगी कर्मचारी का नाम
1	2	3	4	5
14	श्री प्रकाश त्रिपाठी (सहा.मु.नि.प.) एव जन सू.अधि.	सूचना का अधिकार	सूचना का अधिकार	श्री हार्दिक श्रीवास्तव (अनु.अधि.) एवं सहा.जन सू.अधि. श्रीमति राजेश्वरी सिंह(ग्रन्थपाल)
		आवक/ जावक	समस्त महत्वपूर्ण पत्रों के आवक / जावक / डाक-टिकट / कैम्प-बैग संबंधी समस्त कार्य	श्री बंबल सिंह ठाकुर, श्री शुभम बंसौडे (संलग्न सहावर्ग-3)
15	डॉ. के.आर.आर. सिंह, (संयुक्त मु.नि.प.) श्री प्रकाश त्रिपाठी (सहा.मु.नि.प.)	परिसीमन	राज्य के विधानसभा / लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संबंधी संपूर्ण कार्य	श्री गैंदलाल साहू मानवित्रकार
16	मुनिप की निजी स्टॉफ		: आयोग से प्राप्त समस्त गोपनीय पत्रों सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण। 2 सी.ई.ओ. के अनुमोदन उपरांत राज्य सरकार को गोपनीय निर्देशों/सूचनाओं का प्रेक्षण। समस्त महत्वपूर्ण 3 पत्रों/परिपत्रों/सूचनाओं/आदेश तथा निर्देशों की प्रति संधारित रखना। 4 गार्ड फाईल तैयार करना।	श्री योगेश कुमार साह्, सहायक ग्रेड-02 श्रीमती कविता प्रधान, सहायक ग्रेड-02, श्री पीयूष शर्मा, सहायक वर्ग-2 (संलग्न)
17	अति. मुनिप की निजी स्टॉफ		1 आयोग से प्राप्त समस्त गोपनीय पत्रों सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण 2 समस्त महत्वपूर्ण पत्रों /परिपत्रों / सूचनाओं / आदेश तथा निर्देशों की प्रति संधारित रखना! 3 अति. मुनिप समय-समय पर सौपें गए समस्त कार्य 4 गार्ड फाईल तैयार करना 5 कार्यालयीन आदेश कर्मांक 2449, दिनांक 04:07. 2023 में सीपे गए कार्य	श्री दुर्गा प्रसाद गांवरे, श्रीधलेखक (वरिष्ठ) श्री आशीष पहरे, डा.ए.ऑ.(संलग्न)

उपरोक्तानुसार आवंटित कार्य के अतिरिक्त उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सोंपे गये अन्य कार्य।

भुगतान संबंधी समस्त निस्तयां निम्नानुसार प्रस्तुत किये जायेंगे:- शाखा -सहायक मुनिप-/उप मुनिप/-उप संचालक वित-अतिरिक्त मुनिप/संयुक्त मुनिप-मुख्य निर्याचन पदाधिकारी ।

अवकाश की स्थिति में लिंक अधिकारियों की व्यवस्था

उपरोक्तानुसार आबंदित कार्य के प्रभारी अधिकारियों के द्वारा संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से नस्ती प्रस्तुत करेंगे। प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के तहत आगामी आदेश पर्यन्त निम्न दर्शाये अनुसार अधिकारी आपस में लिंक अधिकारी होंगे:—

स.क.	अधिकारी का नाम	लिंक अधिकारी का नाम
1	2	3
1	डॉ.के.आर.आर.सिंह, संयुक्त मुनिष (स्वीप)	श्री यूएस अग्रवाल, उप मुनिप
2	श्रीमती अदिति वासनिक, उप सचालक (यिस्त)	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, उप मुनिप
3	श्री यु.एस. अग्रयाल, उप मुनिप	श्री आशीष कुमार टिकरिहा, उप मुनिप

Jima 17/23

4	श्री आशीष कुमार टिकरिहा, उप मुनिप	श्री अपूर्व प्रियंश टोप्पों, उप मुनिप
5	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, उप मुनिप	श्री विनय कुमार अग्रवाल उप मुनिप
6	श्री विनय कुमार अग्रवाल, उप मुनिप	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, उप मुनिप
7	श्री रूपेश कुमार वर्मा, सहायक मुनिप	श्रीमती शारदा अग्रयाल, सहायक मुनिप
8	श्रीमती शारदा अग्रवाल, सहायक मृनिप	श्री प्रकाश त्रिपाठी, सहायक मुनिप
9	श्रीमती रश्मि वर्मा, सहायक मुनिप	श्री रूपेश कुमार वर्मा, सहायक मुनिप
10	श्री अरविन्द शर्मा, सहायक मुनिप	श्रीमती रश्मि यमां, सहायक मुनिप
11	श्री प्रकाश त्रिपाठी, सहायक मुनिप 👈 🕟	श्री रूपेश कुमार वर्मी, सहायक मुनिप
12	श्री किशोर कुमार डे, अन्, अधि,	श्री कमल किशोर साहू अनु अधि.
13	श्री कमल किशोर साहू, अनु, अधि,	श्री हार्दिक श्रीवास्तव, अनु. अधि.
14	श्री हार्दिक श्रीवास्तव, अनु अधि.	श्री कमल किशोर साहू, अनु, अधि,

उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(रीना बाब साहेब कंगाले) मुख्य निर्याचन पदाधिकारी अ छत्तीसगढ, सयपुर रायपुर, दिनांकः /07/2023

पू.क. 97 / स्था. / कार्य वि. / 2023 / 💸 🞖 🖰 प्रतिलिपि:--

12 7 JUL 2023

 अतिरिक्त मुनिप/संयुक्त मुनिप/उप मुनिप/उप संचालक (वित्त)/सहायक मुनिप/अनुभाग अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. समस्त शाखा प्रभारियों की और सूचनार्थ।

3. गार्ड फाईल।

सर्व संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ/

मुख्य निर्वाबन पदाधिकारी छत्तीसगढ, रायपुर -1 D"

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़

डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर दूरभाष — 0771—2236685 फैक्स — 0771 — 2224476

website:ceochhattisgarh.nic.in, e-mail ID: ceoraipur.cg@nic.in

कमांक 97/स्था./कार्य.वि./2023/2998

रायपुर, दिनांक : / 08/2023

//आदेश//

0 1 AUG 2023

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश जारी किया जाता है :--

Φ.	शाखा प्रभारी अधिकारी का नाम	शाखा	सहयोगी अधिकारी का नाम
1	2	3	4
1	श्री बिपिन मांझी संयुक्त मुख्य निर्वाचन	अधिसूचना कार्यकम निर्वाचन कार्यकम, नाम निर्देशन राजनैतिक दलों का पंजीकरण एवं प्रतीक आबंटन	श्री यू.एस. अग्रवाल, उप मुनिप.
	पदाधिकारी	निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन / संक्षिप्त / सतत पुनरीक्षण, EVM,VVPAT, EMS ,ETPBS से संबंधित कार्य	श्री विनय कुमार अग्रवाल, उप मुनिप
		सेवा निर्वाचकों की मतदाता सूची पुनरीक्षण, E-Roll Nodal officer	
		निर्वाचक नामावलियों एवं EVM,VVPAT से संबंधित शिकायतों का निराकरण	
		EPIC एवं मतदान केन्द्र	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, उप मुनिप.
		गोपनीय सील	श्रीमती रश्मि वर्मा, सहा. मुनिप.
		राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति निर्वाचनों का संचालन	श्री रूपेश कुमार वर्मा, सहा.मुनिप.
		EVM,VVPAT, परिवहन एवं मासिक / त्रैमासिक निरीक्षण प्रतिवेदन का संप्रेषण,निर्वाचन निर्देश एवं मतदान की जानकारी	vieli 31 15.
		एवं शेष समस्त कार्य	
2	श्री	बजट शाखा से संबंधित संपूर्ण कार्य	श्रीमती अदिति वासनिक,
	नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	स्थापना शाखा से संबंधित संपूर्ण कार्य	उप संचालक (वित्त)

Φ.	शाखा प्रभारी अधिकारी का नाम	शाखा	सहयोगी अधिकारी का न
1	2	3	4
3	श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर	कम्प्यूटर शाखा एवं सॉफ्टवेयर (IT)	श्री विनय कुमार अग्रवाल उप मुनिप, श्री विनोद कुमार आगला सिस्टम मैनेजर,
	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	स्टोर शाखा, से संबंधित संपूर्ण कार्य, निजी मुद्रकों का निर्देश	श्री अरविन्द शर्मा, सहा.मुनिप.
		राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शाखा	श्री रूपेश कुमार वर्मा,
		राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन,	सहा.मुनिप.
		जिला स्तरीय प्रशिक्षण शाखा	श्रीमती रश्मि वर्मा,
		RO/ARO/ की अधिसूचना एवं DEMP & BLO	सहा.मुनिप.
		PLAN , मतगणना	
		आदर्श आचार संहिता	श्री यू.एस.अग्रवाल,
		स्थानांतरण / पदस्थापना तथा आचार संहिता	उप मुनिप.
		उल्लंघन संबधी आयोग/जिला/अन्य से प्राप्त	1074
	- 4	शिकायतों की जांच एवं निराकरण	
		SVEEP	डॉ.के.आर.आर.सिंह,
		मीडिया सेल / PR	संयुक्त मुनिप (स्वीप)
		प्रोटोकॉल एवं वाहन शाखा	श्रीमती शारदा अग्रवाल,
		बैठक एवं मॉनिटरिंग	सहा.मुनिप.
		कॉल सेन्टर / 1950	
		निर्वाचन व्यय / EEM	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो,
		आहरण एवं संवितरण अधिकारी (D.D.O.)	उप मुनिप.
		कार्यालयीन अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन का	
		भुगतान तथा CPS/GPF की कटौत्री तथा जमा	
		किया जाना। अधिकारियों / कर्मचारियों के Income Tax की	/ / / A } A A
		समय पर कटौत्री/GST कटौत्री	श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, उप मुनिप.
		आवक-जावक	श्री प्रकाश त्रिपाठी, सहा.मुनिप

Φ.	शाखा प्रभारी अधिकारी का नाम	शाखा	सहयोगी अधिकारी का नाम
1	2	3	4
4	श्री नीलेशकुमार	परिवहन, हेलिकॉप्टर	श्री आशीष कुमार टिकरिहा,
	महादेव	सुरक्षा व्यवस्था ग्रंथालय	उप मुनिप.
	क्षीरसागर	निर्वाचन याचिका (E.P)	-
	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	विधानसभा / लोकसभा संबंधित सांख्यिकी आंकडे एवं परिणाम पुस्तिका की तैयारी एवं मुद्रण	
		PPES Software /मतदान दलों के गठन एवं रेण्डमाईजेशन एवं मतदान दलों की रवानगी / वापसी संबंधी निर्देश कार्य।	
		अवकाश प्रकरण / स्वास्थ्य परीक्षण	
		v.c.से संबंधित जानकारी समस्त शाखाओं से प्राप्त करना तथा आवष्यक व्यवस्था करना।	श्री विनय कुमार अग्रवाल, उप मुनिप.
		ERO/AERO/की अधिसूचना संबंधी कार्य अन्य राज्यों में होने वाले निर्वाचनों के लिए ECI द्वारा नियुक्ति Observer से संबंधित कार्य	श्रीमती अदिति वासनिक, उप संचालक (वित्त)
		मिइक्रो ऑब्जर्वर एवं विधानसभा निर्वाचन / लोकसभा निर्वाचन हेतु नियुक्त ऑब्जर्वर	श्री अरविन्द शर्मा, सहा.मुनिप.
		MCMC कंट्रोल रूम	श्रीमती शारदा अग्रवाल, सहा.मुनिप.
		विधानसमा / लोकसभा निर्वाचन एवं उप निर्वाचन के पूर्व लंबित भुगतान संबंधी देयक	श्रीमती अदिति वासनिक, उप संचालक (वित्त)

अवकाश की स्थिति में लिंक अधिकारियों की व्यवस्था

प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के तहत आगामी आदेश पर्यन्त निम्न दर्शाए अनुसार अधिकारी आपस में लिंक अधिकारी होगें—

स.क.	अधिकारी का नाम	लिंक अधिकारी का नाम
	पिन मांझी, । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
2 श्री नी	लेशकुमार महादेव क्षीरसागर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	श्री बिपिन मांझी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

भुगतान संबंधी समस्त नस्तियां निम्नानुसार प्रस्तुत किये जायेंगे :- शाखा → सहायक मुनिप.
/उप मुनिप → उप संचालक (वित्त) → अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी / संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी → मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(रीना बाबासाहेब कंगाले) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मूख्य फिलीसगढ़, रायपुर पृ.कमांक—97 / स्था. / कार्य.वि. / 2023 / 2_9_9 रायपुर, दिनांक : / 08 / 2023 प्रतिलिपि:-

- अतिरिक्त मु.नि.प. / संयुक्त मु.नि.प. (समस्त) / उप मु.नि.प. (समस्त) / सहायक मु.नि.प. (समस्त) / अनुभाग अधिकारी (समस्त) कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2. समस्त शाखा प्रभारी।
- 3. गार्ड फाईल।

सर्व संबंधित अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अस्तीसगढ़, रायपुर The Registration of Electors Rules, 1960 is an important legislation in India that governs the registration of voters for elections. It provides guidelines and procedures for the preparation and maintenance of electoral rolls. Here is a summary of the key provisions of the Registration of Electors Rules, 1960.

- Preparation of Electoral Rolls: The rules outline the process of preparing electoral rolls, which contain the names of eligible voters. It includes the compilation of relevant data and information necessary for voter registration.
- Qualifications for Registration: The rules specify the qualifications required for a person to be eligible for voter registration, such as citizenship, age, and residence in a particular constituency.
- Application for Registration: The rules define the procedure for individuals to apply for voter registration, including the prescribed forms and documents required for submission.
- 4. Booth Level Agents: The rules allow for the appointment of booth level agents by recognized political parties. These agents have the right to inspect the electoral roll, raise objections, and assist in the voter registration process.
- Verification and Revision of Electoral Rolls. The rules provide for the verification and revision of electoral rolls periodically to ensure accuracy and inclusiveness. This includes processes for updating voter information and removing the names of ineligible or deceased voters.
- Special Summary Revision: The rules outline the procedure for conducting special summary revisions of electoral rolls to accommodate new eligible voters or correct any errors or omissions.
- Publication of Electoral Rolls: The rules specify the process of publishing the electoral rolls after each revision, making them available for public scrutiny and raising objections, if any.
- Electoral Registration Officers (EROs): The rules define the roles and responsibilities of Electoral Registration Officers, who are responsible for the overall management and supervision of the voter registration process in their respective jurisdictions.
- Appeals and Objections: The rules provide a mechanism for filing appeals and objections regarding the inclusion, deletion, or correction of names in the electoral rolls. It outlines the process for their disposal and resolution.
- Maintenance of Records: The rules require the maintenance of various records, registers, and statistical data related to the voter registration process, ensuring transparency and accountability.

The Registration of Electors Rules, 1960 aims to facilitate the systematic and accurate registration of eligible voters, ensuring the integrity and inclusiveness of the electoral process in India.

For more information on Conduct of Election Rules 1961, please refer to www.eci.gov.in

1

(कोई मतदाता ना छूटे)

- 1. (No Voter to be left behind)
- National Voters Day (25 January) N.V.D.

ction Commission of India (ECI): The ECI as an independent constitutional thority was therefore brought into force from November 26th, 1949.

he Acts: To provide a legal framework for the conduct of elections, Parliament passed the Representation of the People Act, 1950, Representation of the People Act, 1951 and Delimitation Commission Act of 2002.

Delimitation: For the purpose of **first general elections** to the Lok Sabha and Vidhan Sabhas, the **first delimitation order** was issued by the President, **in consultation with ECI** and with the approval of Parliament in August 1951.

Representation of the People Act (RPA), 1950

Key Provisions

- Lays down procedures for delimitation of constituencies.
- Provides for the allocation of seats in the House of the People and in the Legislative Assemblies and Legislative Councils of States.
- Lays procedure for the preparation of electoral rolls and the manner of filling seats.
- Lays down the qualification of voters.

Delimiting Constituencies

- The President of India has been conferred the power to amend orders delimiting constituencies, only after consulting the ECI.
- In Lok Sabha, there is a reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- The ECI has the power to determine the constituencies to be reserved for scheduled tribes in the states of Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura.
- Allocation of seats: As far as possible, every state gets representation in the Lok Sabha in proportion to its population as per census figures.

Electoral Rolls

- The 1950 Act permits the registration of persons in electoral rolls who are ordinarily resident n a constituency and persons holding:
 - Service qualification such as a member of armed forces, member of the armed police force of a state, serving outside the state, or central government employees posted outside India.
 - Certain offices in India declared by the President in consultation with ECI.
 - The wives of such persons are also deemed to be ordinarily residing in India. There is a proposal for making some provisions gender-neutral by replacing the term 'wife' with 'spouse'.

Chief Electoral Officer (CEO)

- Each state to have a CEO nominated or designated by the ECI in consultation with the state government to supervise the election work in the State/ UTs.
- The ECI also nominates or designates an officer of the state as the District Election Officer (DEO)in consultation with the state government
 - The DEO works under the overall superintendence and control of the CEO.

Electoral Registration Officer (ERO)

- The ERO is responsible for the preparation of the electoral roll for each constituency (parliamentary/assembly).
- An appeal against the order of the ERO during the update of the electoral rolls now lies with District Magistrate.

Returning Officer(RO)

RO is responsible for the conduct of the election in a constituency and returns an
elected candidate.

- The ECI nominates or designates an officer of the government or local authority as the RO in consultation with the state government.
- Power to make rules under the act is conferred to the Central government, which can exercise this power in consultation with the ECI.
 - The Civil Courts have also been barred to question the legality of any action of the ERO regarding revision of electoral rolls.
- Voting Rights: In 2010, voting rights were extended to citizens of India living abroad

For more information on Conduct of Election Rules 1961, please refer to www.eci.gov.in

Article 324 to 329 of Part XV of the Constitution deals with the electoral system in our country. Constitution allows Parliament to make provisions in all matters relating to elections to the Parliament and State Legislatures.

In exercise of this power, the Parliament has enacted laws like Representation of the People Act 1950 (RPA Act 1950), Representation of the People Act 1951 (RPA Act 1951) and Delimitation Commission Act of 1952.

Representation of Peoples Act 1950 (RPA Act 1950) provides for the following:

- Qualification of voters.
- Preparation of electoral rolls.
- Delimitation of constituencies.
- Allocation of seats in the Parliament and state legislatures.

RPA Act 1950 Parts and Schedules

- Part I: Preliminary
- Part II: Allocation Of Seats And Delimitation Of Constituencies
- Part IIA : Officers
- Part IIB : Electoral Rolls For Parliamentary Constituencies
- Part III : Electoral Rolls For Assembly Constituencies
- Part IV Electoral Rolls For Council Constituencies
- Part V General
- The First Schedule: Allocation of seats in the House of the People
- The Second Schedule: Total number of seats in the Legislative Assemblies
- The Third Schedule: Allocation of seats in the Legislative Councils
- The Fourth Schedule: Local authorities for purposes of elections to Legislative Councils
- The Fifth Schedule: [Repealed by the Government of Union Territories Act, 1963]
- The Sixth Schedule: [Repealed by the Representation of the People (Amendment) Act, 1956]
- The Seventh Schedule: [Repealed by the Representation of the People (Amendment)
 Act]

Representation of Peoples Act 1951 (RPA Act 1951)

Representation of Peoples Act 1951 is an act enacted by the Indian provincial parliament before first general elections. The People's Representation act provides for the actual conduct of elections in India. The act also deals with details like qualification and disqualification of members of both houses of Parliament (ie Loksabha and Rajyasabha) and the state legislatures (ie. State Legislative Assembly and State Legislative Council). Rules for the mode of conduct of elections is highlighted in detail.

Highlights of RPA Act 1951

- Actual conduct of elections.
- 2. Administrative machinery for conducting elections.
- 3. Poll.

- Election offences.
- Election disputes.
- By-elections.
- Registration of political parties

The act is of special significance to the smooth functioning of Indian democracy, as it checks the entry of persons with criminal background into the representative bodies. Representation of People's Act 1951 was amended many times, the major amendment being made in 1966.

Salient features of the Representation of People's Act

- Part 21 of the the <u>Indian Constitution</u> drafted by the Constituent Assembly had mentioned for a provisional parliament. The provisional parliament enacted Representation of People's Act 1951, so that general elections could be conducted according to the rules mentioned.
- Citation is Article No 43 of 1951.
- Representation of People's Act contains 13 parts (2 parts added as amendments).
 Each part is divided into different sections making it a total of 171 numbered sections (including those sections which were repealed later.).
- The details of the parts in Representation of Peoples Act 1951 are as below:
- 1. PART I: PRELIMINARY.
- 2. PART II : QUALIFICATIONS AND DISQUALIFICATIONS.
- 3. PART III : NOTIFICATION OF GENERAL ELECTIONS.
- 4. PART IV : ADMINISTRATIVE MACHINERY FOR THE CONDUCT OF ELECTIONS.
- PART IV A: REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES.
- 6. PART V: CONDUCT OF ELECTIONS.
- PART VA: FREE SUPPLY OF CERTAIN MATERIAL TO CANDIDATES OF RECOGNISED POLITICAL PARTIES.
- PART VI : DISPUTES REGARDING ELECTIONS.
- 9. PART VII: CORRUPT PRACTICES AND ELECTORAL OFFENCES.
- 10. PART VIII: DISQUALIFICATIONS.
- 11. PART IX : BYE-ELECTIONS.
- 12. PART X : MISCELLANEOUS.
- 13. PART XI: GENERAL.
- Expressions not used in 1951 act, but listed in Representation of the People Act 1950 (43 of 1950) shall have the same meaning.
- Chief Electoral Officer is mentioned in section 13A.
- Corrupt practices are mentioned in section 123.
- "Election" means an election to fill a seat or seats in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State other than the State of Jammu and Kashmir.

For more information on Conduct of Election Rules 1961, please refer to www.eci.gov.in

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.51/8/INST/2022-EMS

Dated: 20th September, 2022

To

The Chief Electoral Officer of All the States and Union Territories

Subject:

EVM/VVPATS: common mistakes to be avoided during different stages

of election period-a checklist of don'ts- Regarding.

Madam/Sir,

Kindly find herewith attached checklist on the subject matter.

2. In this regard, it is stated that the referred 'Checklist of Don'ts may be used for making posters/ short videos/ other audio visual presentation, etc. as deemed fit for the purpose of training of election officials so that such common mistakes are avoided during different stages of election process. The training material as referred may be made in local/regional languages.

Action taken on the matter may be intimated to the Commission by 15/10/2022.
 Further, the same may be taken up on priority by the poll-going States of 2022 and 2023.

Yours faithfully,

(Rakesh Kumar)

Under Secretary

EVM/VVPATS: COMMON MISTAKES TO BE AVOIDED DURING DIFFERENT STAGES OF ELECTION PERIOD

- A CHECKLIST OF DON'TS-

TOPICS COVERED:

- GENERAL
- 2. DURINGSTORAGE
- 3. TRANSPORTATION
- 4. FIRST LEVELCHECKING
- 5. TRAINING ANDAWARENESS
- 6. RANDOMIZATIONS
- 7. DURINGCOMMISSIONING
- 8. DURING DISPERSAL TO POLLINGSTATIONS
- 9. DURING MOCKPOLL
- 10. DURINGPOLL
- 11. AFTERPOLL
- 12. DURINGCOUNTING
- 13. AFTERCOUNTING
- 14. FOR PENDING EP

9	Don't allow the units to be handled by any unauthorised personnel/staff Don't move/keep/store EVM/VVPAT in any unauthorised place. Don't shift any EVM/VVPAT without making entry in EMS. Don't leave any EVMs &VVPAT without 24X7 security. Don't damage any seal of the BU, CU & VVPAT. Don't burn any VVPAT slips.
4 5 6 7 8	Don't move/keep/store EVM/VVPAT in any unauthorised place. Don't shift any EVM/VVPAT without making entry in EMS. Don't leave any EVMs &VVPAT without 24X7 security. Don't damage any seal of the BU, CU & VVPAT. Don't burn any VVPAT slips.
4 5 6 7 8	Don't 'shift any EVM/VVPAT without making entry in EMS. Don't leave any EVMs &VVPAT without 24X7 security. Don't damage any seal of the BU, CU & VVPAT. Don't burn any VVPAT slips.
5 6 7 8	Don't damage any seal of the BU, CU & VVPAT. Don't burn any VVPAT slips.
6 7 8	Don't burn any VVPAT slips.
7 8 9	Don't burn any VVPAT slips.
8	Don't' loave VA/DAT Dones I and the state of
9	Don't' leave VVPAT Paper Lock in vertical position during transportation.
9	Don't position the EVM & VVPAT near an open window or any direct light/high- illumination source in the polling Station.
	Don't forget to put paper lock position in vertical position before switching ON the CU.
11	Don't move/shift the units anywhere during the period from - Commissioning to the Counting Day - except EVMs & VVPAT required for use in poll.
12 1	Don't switch ON CU before VVPAT paper roll knob is in unlocked condition vertical position).
13 L	On't remove cables without pressing the clips on the connectors.
14 E	Don't insert cables by pressing the clips on the connectors.
15 D	Don't switch OFF CU unless all 7 slips are printed and cut.
6 D	on't connect or disconnect EVM and VVPAT cables when CU switch is ON.
7 D	on't switch ON/OFF CU repeatedly.
8 D	

Page I of 6



	2. DURING STORAGE OF EVMs and VVPATs
1	Don't open and close EVM warehouse without intimation and participation of the representatives of National and State Recognised Political Parties
2	Don't keep other material whether election related or not (except the documents/materials prescribed by the Commission) with EVM and VVPAT.
3	Don't forget to install fire extinguisher at FLC centre, Warchouse, Strong room.
4	Don't store EVM and VVPAT at any place below the Tehsil Headquarters-level
5	Don't keep various models of EVM and VVPAT at same room/hall of the
6	Don't keep/mix EVM and VVPAT of other election management bodies(viz. State Election Commission etc.) with ECI EVM and VVPAT
7	Don't forget to disconnect electricity inside room/hall having EVM/VVPAT
8	Don't forget to seal all other doors/windows (except entry/exit door) using blick masonry or concrete
9	Don't make UVMs & VVPAT werehouse in the Educational Institute.
10	Don't open the strong room/warehouse having EVM and VVPA1 pertaining to
11	Don't forget videography of opening and closing of warehouse strong room
12	Don't forget to maintain Log Book for each entry and exit.
13	Don't forget to maintain Duty Roster of security personnel.
	3. TRANSPORTATION
1	Don't transport EVM and VVPAT without GPS/Mobile app-based tracking.
2	Don't transport FVM and VVPA I in un-containerized venicles
3	TOTAL A VIVIDAT without armed security
4	Don't transport VVPAT in unlock position of the paper for know (vertical)
5	Don't forget to invite the representatives of National and State Recognised Political Parties while sending or receiving EVMs and VVPATs from warehouse
6	Don't forget to coordinate with the DEOs concerned in ease of racing to the East of Pacific State and Intra-State transportation of EVMs and VVPATs.
_	4. FIRST LEVEL CHECKING
1	Don't allow to take any electronic device inside FLC Hall except those items permitted by ECI.
2	Don't forget to install Door Frame Metal Detector (DFMD) at FLC centre.
3	b - it allow any person inside the FLC hall without proper trisking.
4	Don't forget to dispatch the FLC rejected Units to the factory for repairs after
4	semplation of FLC
5	Don't forget to mark FLC OK, FLC rejected unit in EMS on a daily basis.
6	Don't' forget to conduct mock poll in 5% randomly selected EVMs & VVPATs(1200 votes in 1% EVMs, 1000 votes in 2% EVMs and 500 votes in 2% EVMs)
7	Don't forget to paste pink paper seal on CU



8	Don't use real election symbol during FLC and Training & Awareness
9	Don't leave VVPATs slips generated during FLC / T&A without shredding on daily basis.
10	Don't forget to install fire extinguisher at FLC centre, Warehouse, Strong room.
11	Political parties at District Headquarters as well as State III in State Recognised
12	- The state of the
13	- Control of the Cont
14	SoP SoP
15	Don't forget to barricade and sanitize FLC area by police.
16	Don't allow entry to FLC hall without production of Identity Card issued by the DEO.
17	Don't forget to frisking of every person/officer/engineer at every entry and exit.
18	Don't forget to install TV/Monitor display with UDA (
271550	Don't forget to install TV/Monitor display with HDMI input for each SLU under use in FLC hall.
19	Don't forget to paste FLC SoP in FLC Hall.
20	Don't allow any person/official except authority
	Don't allow any person/official except authorized staff and engineers of Bharat Electronics Limited and Electronics Corporation of India Limited, as the case may be, to conduct FLC
	Total to conduct I I C
21	
21 22	Don't keep FLC OK and FLC Reject EVM and VVPAT in the same strong room Don't forget to share list of FLC OK units to Not in the same strong room
22	Don't keep FLC OK and FLC Reject EVM and VVPAT in the same strong room Don't forget to share list of FLC OK units to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper acknowledgment 5. TRAINING & AWARENESS
22	Don't keep FLC OK and FLC Reject EVM and VVPAT in the same strong room Don't forget to share list of FLC OK units to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper acknowledgment 5. TRAINING & AWARENESS Don't forget to mark those EVM and VVPAT in EMS or fT.
22	Don't keep FLC OK and FLC Reject EVM and VVPAT in the same strong room Don't forget to share list of FLC OK units to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper acknowledgment 5. TRAINING & AWARENESS Don't forget to mark those EVM and VVPAT in EMS as 'Training/Awareness' Don't forget to paste a yellow colour sticker mentioning Training /Awareness on T&A EVMs.
1 2	Don't keep FLC OK and FLC Reject EVM and VVPAT in the same strong room Don't forget to share list of FLC OK units to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper acknowledgment 5. TRAINING & AWARENESS Don't forget to mark those EVM and VVPAT in EMS as 'Training/Awareness' Don't forget to paste a yellow colour sticker mentioning Training /Awareness on T&A EVMs.
1 2 3 4	Don't keep FLC OK and FLC Reject EVM and VVPAT in the same strong room Don't forget to share list of FLC OK units to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper acknowledgment 5. TRAINING & AWARENESS Don't forget to mark those EVM and VVPAT in EMS as 'Training/Awareness' Don't forget to paste a yellow colour sticker mentioning Training /Awareness on T&A EVMs. Don't take out T&A EVMs more than 10% of total purpless of DS in the sticker mentioning Training /Awareness on
1 2 3 4	Don't keep FLC OK and FLC Reject EVM and VVPAT in the same strong room Don't forget to share list of FLC OK units to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper acknowledgment 5. TRAINING & AWARENESS Don't forget to mark those EVM and VVPAT in EMS as 'Training/Awareness' Don't forget to paste a yellow colour sticker mentioning Training /Awareness on T&A EVMs.
1 2 3 4 5	Don't keep FLC OK and FLC Reject EVM and VVPAT in the same strong room Don't forget to share list of FLC OK units to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper acknowledgment 5. TRAINING & AWARENESS Don't forget to mark those EVM and VVPAT in EMS as 'Training/Awareness' Don't forget to paste a yellow colour sticker mentioning Training /Awareness on T&A EVMs. Don't take out T&A EVMs more than 10% of total number of PS in the district. Don't use units without FLC OK sticker for T&A. Don't use real election symbol during training, Awareness, FLC of EVMs & VVPATs. Don't forget to share list of EVM and VVPAT taken out for T&A to National and State Recognised Political Parties after completion of FLG.
1 2 3 4 5	Don't keep FLC OK and FLC Reject EVM and VVPAT in the same strong room Don't forget to share list of FLC OK units to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper acknowledgment 5. TRAINING & AWARENESS Don't forget to mark those EVM and VVPAT in EMS as 'Training/Awareness' Don't forget to paste a yellow colour sticker mentioning Training /Awareness on T&A EVMs. Don't take out T&A EVMs more than 10% of total number of PS in the district. Don't use units without FLC OK sticker for T&A. Don't use real election symbol during training, Awareness, FLC of EVMs & VVPATs. Don't forget to share list of EVM and VVPAT taken out for T&A to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper Don't keep T&A units in FLC Strong Pages and in the State Strong Pages and in the S
1 2 3 4 5	Don't keep FLC OK and FLC Reject EVM and VVPAT in the same strong room Don't forget to share list of FLC OK units to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper acknowledgment 5. TRAINING & AWARENESS Don't forget to mark those EVM and VVPAT in EMS as 'Training/Awareness' Don't forget to paste a yellow colour sticker mentioning Training /Awareness on T&A EVMs. Don't take out T&A EVMs more than 10% of total number of PS in the district. Don't use units without FLC OK sticker for T&A. Don't use real election symbol during training, Awareness, FLC of EVMs & VVPATs. Don't forget to share list of EVM and VVPAT taken out for T&A to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper acknowledgment Don't keep T&A units in FLC Strong Room or vicinity of FLC OK Strong Room. Keep them in separate designated warehouse/nearby training.
1 2 3 4 5	Don't keep FLC OK and FLC Reject EVM and VVPAT in the same strong room Don't forget to share list of FLC OK units to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper acknowledgment 5. TRAINING & AWARENESS Don't forget to mark those EVM and VVPAT in EMS as 'Training/Awareness' Don't forget to paste a yellow colour sticker mentioning Training /Awareness on T&A EVMs. Don't take out T&A EVMs more than 10% of total number of PS in the district. Don't use units without FLC OK sticker for T&A. Don't use real election symbol during training, Awareness, FLC of EVMs & VVPATs. Don't forget to share list of EVM and VVPAT taken out for T&A to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper acknowledgment Don't keep T&A units in FLC Strong Room or vicinity of FLC OK Strong Room. Keep them in separate designated warehouse/nearby training areas. Don't forget to share the information of the designated warehouse to keep T&A EVMs and VVPATs
0.00	Don't keep FLC OK and FLC Reject EVM and VVPAT in the same strong room Don't forget to share list of FLC OK units to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper acknowledgment 5. TRAINING & AWARENESS Don't forget to mark those EVM and VVPAT in EMS as 'Training/Awareness' Don't forget to paste a yellow colour sticker mentioning Training /Awareness on T&A EVMs. Don't take out T&A EVMs more than 10% of total number of PS in the district. Don't use units without FLC OK sticker for T&A. Don't use real election symbol during training, Awareness, FLC of EVMs & VVPATs. Don't forget to share list of EVM and VVPAT taken out for T&A to National and State Recognised Political Parties after completion of FLC with proper acknowledgment Don't keep T&A units in FLC Strong Room or vicinity of FLC OK Strong Room. Keep them in separate designated warehouse/nearby training areas. Don't forget to share the information of the designated.

11	Don't forget to re-introduce T&A EVMs and VVPATs as Poll Day Reserve after de-novo FLC, randomizations, candidate setting etc.
	6. RANDOMIZATIONS
1	Don't forget to intimate in writing 1st pand
2	
3	Don't allocate EVM and VVPAT AC-wise uneven during 1st Randomization
4	Don't allocate Ballot Units more than Control Units during 1st Randomization Don't forget to receipt EVM
5	Don't forget to receipt EVM and VVPAT AC-wise by scanning after
	Don't forget to share list of 1st Randomized EVM and VVPAT (AC-wise) to National and State Recognised Political Parties with proper acknowledgment
6	Don't forget to intimate in writing 2 nd Randomization schedule to all the contesting candidates/their agents with proper acknowledgment
7	Don't lorget to share list of 1" Randomized EVM and VVDAT (AC
8	Pon't miss out to undate polling state of the contesting candidates/their agents with proper acknowledgment
9	Don't miss out to update polling stations before 2 nd Randomization Don't forget to share list of 2 nd Randomized EVM and VVPAT to all the contesting candidates/their agents with proper acknowledgment
	7. DURING COMMISSIONING
1	Don't forget to intimate in writing schedule of Commissioning of EVMs and VVPATs to all the contesting candidates/their agents with proper acknowledgment
2	Don't leave VVPATs slips generated during commissioning without shredding on a daily basis.
3	Don't forget to check correct loading of Serial Numbers, Names of Candidate and their Symbols in VVPATs
4	Don't forget to conduct mock poll of 1000 votes on 5% randomly selected EVMs as well as VVPAT during commissioning.
5	Don't keep VVPAT knob in Working mode (Vertical position) after commissioning
6	Don't set candidates in CU without connecting BU(s) and VVPAT.
7	Don't forget to share lists of EVMs and VVPATs to be used in polling stations (polling station-wise) and reserve EVMs and VVPATs
	8. DURING DISPERSAL TO POLLING STATIONS
1	Don't forget to ensure EVM/VVPAT is related to the particular polling station for which it has been allotted.
2	Don't take away any EVM & VVPAT to any unauthorised place like residence, etc.
3	Don't repeatedly switch ON and OFF the VVPAT as it will deplete the battery as well as paper roll causing problems during the poll day.
4	Don't forget to switch OFF the CU while connecting or disconnecting the EVM units and VVPAT using cables
5	Don't pull the cable of BU & VVPAT while disconnecting from the CU.

Page 4 of 6



6	Don't forget to earmark a government building as the cluster point for polling parties and for EVMs/VVPATs dispatch to polling stations on P-2/3. Don't Police stations for such cluster points.
7	Don't switch on the VVPAT at the time of dispersal.
8	Don't connect Ballot Unit, Control Unit and VVPAT during dispersal
9	Don't keep VVPAT knob vertical (Working mode) while transporting.
10	Don't stay at any place other than designated place.
11	
12	Don't remove any seal from BU, CU and VVPAT.
	Don't use vehicle other than vehicle provided for dispersal.
1	9. DURING MOCK POLL
2	Don't start mock poll, if no or one election agent is present. Wait for 15 minutes.
3	1 25 of Catop mock poll without eacting at least 50
3	The trace by the same of the s
4	at voting compartment) Don't forget to
Æ.	Don't forget to cast at least one vote to each candidate button including NOTA
5	Don't leave any most us
	Don't leave any mock poll slips inside the VVPAT slips compartment after the Don't few poll on poll day.
6	Don't forget to delete mock poll day.
7	Don't forget to delete mock poll data from the CU before starting of actual poll. Don't keep mock poll VVPAT slips upstarmed in the current policy.
3	Don't keep mock poll VVPAT slips unstamped in black envelop. Don't forget to tally EVM count with NIMP and the CU before starting of actual poll.
)	Don't forget to tally EVM count with VVPAT slips count during mock poll. Don't forget to fill Mock Poll Certificate (Pert I SP)
0	Don't forget to fill Mock Poll Certificate (Part-I of Presiding Officer Report) Don't start actual poll without scaling Result Section of CU and Drop Box of VVPAT and taking signatures of polling agents.
	10.DURING POLI
1	Don't operate the paper roll knob till the end of the poll.
	Don't lorger pressing of close button of Clips
	Don't conduct mock poll in case of male
	Don't conduct mock poll in case of replacement of only VVPAT during the actual
	Don't hang any high illumination bulb area VAID to
	Don't hang any high illumination bulb over VVPAT at Voting Compartment Don't Switch ON the Control Unit at the circum.
	Ballot Unit, Control Unit and VVPAT
	Don't Switch ON Control Unit when VOVDAT
	Don't Switch ON Control Unit when VVPAT paper roll knob is in lock position (horizontal position)
	Don't forget to tape the interconnecting and a service
	Don't forget to tape the interconnecting cable of BU/VVPAT to the leg of then table with 'transparent' adhesive tape.
	Don't forget to press both side latches of company
	from VVPAT in mock poll process
0	Don't enter into the voting compartment to educate illiterate how to cast vote. Use cardboard BU for this purpose.
	and purpose.
1	Don't Switch OFF/Switch ON EVM during poll process

12	Don't forget to remove VVPAT Power Pack (Battery) from VVPAT before sealing of VVPAT in its carrying case after completion of poll
	11.AFTER POLL
1	Don't keep polled units and reserve units in the same strong room
2	transport of EVM and VVPAT in unauthorized vehicle (not notified for
3	Don't store the "C" & "D" category of EVMs in the vicinity of "A" & "B" category of EVMs & VVPATs.
4	Don't' leave the VVPAT battery inside the VVPAT after completion of pull
5	category A, B, C and D.
6	Don't keep polled units of two or more Assembly Constituency/Segment in the same strong room, after poll
7	Don't transport EVMs and VVPATs without escort after poll from polling stations to collection centre.
	12.DURING COUNTING
1	Don't obtain result from CUs without verifying seals.
2	Don't forget to write in pen, in space between counting supervisor's signature and signature of candidate/their agents/counting agents in Part-II for Form-17C "We, hereby certify that CU No.(s)is/are the same which were used in the Polling Station No"
	13.AFTER COUNTING
1	Don't leave CU batteries inside CUs before storing them in the strong roomafter counting of votes.
2	Don't forget to remove VVPAT slips from all VVPATs after counting of votes before storing VVPAT in warehouse.
3	Don't open the strong room till the completion of EP period i.e. till EP list is received from respective High Court.
4	Don't store 2 or more than 2 ACs machines in same strong room after completion of poll and counting of votes till the completion of EP period.
	14.FOR PENDING EP EVMs and VVPATs
1	Don't open the strong room where EP related EVMs & VVPATs are stored, without permission of the Court, except in exceptional cases like flood, fire, etc.

Seg

ament and State Legislative Assemblies. It provides detailed guidelines and procedures to ensure fair, asparent, and orderly elections. Here is a summary of the key provisions of the Conduct of Election Rules, 1961:

Appointment of Election Commission: The rules define the appointment and functions of the Election Commission of India, which is responsible for the conduct of elections at the national and state levels.

Electoral Rolls: The rules lay down the procedure for the preparation and revision of electoral rolls, which contain the names of eligible voters. It includes provisions for the inclusion, deletion, and correction of names in the rolls.

- 3. Nomination of Candidates: The rules specify the process for filing nominations by political parties and independent candidates. It outlines the necessary documents, forms, and fees required for nomination, as well as the timeframes for submission.
- Scrutiny of Nominations: The rules define the procedure for scrutinizing nomination papers to ensure they meet the
 eligibility criteria and legal requirements. It allows for the withdrawal of candidature by the candidates.
- Electoral Symbols: The rules govern the allocation and use of election symbols to political parties and candidates. It regulates the process of symbol selection, reservation, and its display on ballot papers and other election materials.
- Conduct of Polling: The rules provide guidelines for the conduct of polling, including the setup and management of polling stations, appointment of polling personnel, and the procedure for casting votes using electronic voting machines (EVMs) or paper ballots.
- Model Code of Conduct. The rules prescribe the Model Code of Conduct, which sets ethical guidelines for political
 parties and candidates during the election period. It promotes fair campaign practices and prohibits activities such
 as bribery, use of religious sentiments, and intimidation.
- Counting of Votes: The rules outline the procedure for the counting of votes, including the setup of counting
 centers, appointment of counting personnel, and the process of tallying votes to determine the election results.
- Election Expenses: The rules regulate the expenditure incurred by candidates and political parties during elections.
 It sets limits on campaign expenses and mandates the maintenance of expense accounts and submission of expenditure statements.
- Disputes and Petitions: The rules provide a mechanism for resolving election disputes and filing election petitions. It defines the process and timelines for approaching the appropriate authority or the courts for redressal.

These are some of the main provisions of the Conduct of Election Rules, 1961. The legislation aims to ensure the integrity, fairness, and smooth functioning of the electoral process in India.

For more information on Conduct of Election Rules 1961, please refer to this link:-

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.parlament.cat/document/intrade/181099

ECT Web.

ELECTION URGENT BY EMAIL/CAMP BAG

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No.52/2014-SDR/

Dated: 7th March, 2014

To,

The Chief Electoral Officers of all States and Union Territories

(except A & N Islands, Chandigarh, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, Lakshadweep having only one PC)

Subject:-Guidelines for issue of Postal Ballot Papers - regarding

Ref: - ECI Letters No. 52/2102/SDR/216-250, dated 13th August 2012, No. 52/2012/SDR/181-215, dated 13th August 2012 and No. 2/2012/SDR/251-285, dated 13th August 2012

Sir/Madam,

- 1. Election Commission has issued detailed instructions for facilitation of casting of postal ballots by persons on poll duty from time to time. The Commission had modified and refined these instructions during the general elections to various State Legislative Assemblies held in 2012-2013. This has resulted in a significant increase in the casting of postal ballots by persons on poll duty. The Commission has considered various logistical problems in the process of facilitation of postal balloting by persons on election duty and has decided to further modify these instructions. These comprehensive instructions are being issued in supersession of all existing instructions on facilitation of postal balloting by persons on election duty.
- 2. Persons on election duty who are entitled for Postal Ballots (PB) and Election Duty Certificate (EDC) All persons appointed on election duty who are not able to cast their vote at the polling station where they are enrolled as a voter are entitled to the facility of either an EDC or a postal ballot. In case they are put on election duty in the same constituency in which they are enrolled as a voter, they are entitled to get an EDC, which entitles them to vote at the polling station where they

are on duty. If they are on duty in a constituency other than the constituency where they are enrolled as a voter, they are entitled to a Postal Ballot. These persons include employees in polling parties, Sector Officers, Zonal Officers, Returning Officers and Assistant Returning Officers, District Elections Officer, Deputy District Election Officer, employees posted in the offices of District Election Officer, returning Officer, Control Room and other election related offices, micro-observers, all police personnel, home guards, drivers, conductors and cleaners of vehicles, engaged for election work etc. if such persons are not able to cast their vote at the polling station where he or she is enrolled as a voter by reason of being on duty in relation to elections. Polling agents of candidates also fall in the category of voters on election duty for this purpose. A person is entitled to an EDC if he or she is on duty in the same constituency where he or she is enrolled as a voter, and entitled to a postal ballot if he or she is on duty in any other constituency.

- Reasons for Facilitation of Postal Balloting by person on election duty Commission has received representations from time to time that many electors on election duty are not able to cast their postal ballots, and many a times postal ballots cast by such persons do not reach the Returning Officer in time for counting. The Commission has also received representations about the possibility of undue influence or intimidation of persons who cast their vote by postal ballots. To address these issues, the Commission has decided to facilitate casting of postal ballots by persons on election duty during the training sessions to take care of such complaints. Voting through postal ballot in such training sessions is referred to as voting in facilitation centre. The Commission has also decided that facilitation should be done in a completely transparent manner so that all stakeholders are involved in the process at every stage.
- 4. During the ensuing General Election to Lok Sabha 2014, polling staff including police personnel, driver/conductor/cleaner of vehicles, persons engaged for videography, etc, would be mostly drawn from within the parliamentary constituency. Therefore, large majority of voters on election duty can vote by using EDC. However, if there are persons who are put on duty in a constituency different from the one where he/she is enrolled as elector, such person will need to apply for postal ballot paper to exercise franchise.
- 5. <u>Preparation of Database</u> A database of persons to be issued postal ballots on account of being on election duty should be prepared well in advance. Along with other information, these databases should necessarily have information about the No. and name of

Assembly Constituency, Part No. and the Serial Number in Part where the person is enrolled as a voter. The EPIC number of each person should also be captured in the database. The database should also have fields to capture information about the location and address of facilitation centers for postal balloting. The facilitation center will be the same as the place identified for imparting training. If a person is to be called for training more than once, information about all the trainings should be captured in the database. Information about the electoral roll enrolment of a person can be found by using search facility based on EPIC number and search facility based on name and surname. This search facility is provided at the website of all Chief Electoral Officers. These databases should be prepared in the following manner:

- Database of employees on election duty The District Election Officer has to prepare one database of employees for duty in polling parties, and for other election duties like sector officers, zonal officers, micro-observers etc. This database should include all persons appointed on election duty of any kind if such a person is not able to cast his vote at the polling station where he or she is enrolled as a voter on account of being on election duty.
- In the case of police personnel who are also treated as voters on election duty. b) the SP or other competent officer will maintain a database of all police personnel (including home guards, if deployed on election duty) in the district. In that database, the elector details, like, No. & Name of Assembly Constituency. Part No. & Sl. No. of electoral roll where name is registered as an elector shall also be populated. The SP shall prepare the deployment plan for the police officials in the district well in advance. At this stage the constituency where they are deployed on election duty would be known, whether within the constituency where registered as elector or in a different constituency. Those posted outside the constituency will be eligible for voting through Postal Ballot. The SP shall appoint a Nodal Officer to coordinate all activities related to facilitating the exercise of franchise by police personnel through postal ballot or EDC. Form 12A (for EDC) or Form 12 (for Postal Ballot) shall be provided by the SP or the nodal officer identified for this purpose to enable the police personnel to make application for EDC or PB, as the case may be. The SP or the nodal officer shall ensure that these applications in Form 12 and 12A with the electoral roll details duly entered and signed by the police personnel are sent

- to the concerned Returning Officer at least 7days before the date of poll so that EDC or PB, as the case may be, can be issued after making necessary entries in the marked copy of the electoral roll.
- Similarly, in the case of drivers/conductors/cleaners and other persons appointed for specific election related duties also a Nodal Officer may be appointed. The enrolment details like No. & Name of Constituency, Part No. and Sl. No. of entry in the electoral roll of the persons so drafted for election duty shall be ascertained by the Nodal Officer and they shall be provided Form 12A (for EDC) if posted on election duty within the constituency of enrolment or Form 12 (for Postal Ballot) if posted in a different constituency to enable them to make application for EDC or PB, as the case may be. The nodal officer shall ensure that these applications in Form 12 and 12A with the electoral roll details duly entered and signed by the driver, conductor etc. drafted on election duty are sent to the concerned Returning Officer at least 7 days before the date of poll so that EDC or PB, as the case may be, can be issued after making necessary entries in the marked copy of the electoral roll.
- should be issued to all those persons who are put on election duty outside the constituency of enrolment. FORM-12 can be pre-filled with information about Name of Elector, No. and Name of Assembly Constituency, Part No. and Serial No. in Part where the person is enrolled in the electoral roll. This information should be available in the database of employees prepared by the DEO. Pre-filled FORM-12 can be printed from the database of employees by software to be prepared by the CEO. A note should be printed at the bottom of FORM-12, that the employee should check the pre-filled details and make corrections if these details are not correct. FORM-12 should be distributed to police personnel through the Superintendent of Police / the nodal officer appointed for the purpose. FORM-12 should be distributed to drivers, conductors and cleaners of vehicles used in elections through the nodal officer /officer in-charge of transportation.
- 7. Signed FORM-12, alongwith a copy of the appointment letter as proof of having been drafted for election duty and photocopy of EPIC in order to ensure that no ineligible person is issued a Postal Ballot should be collected on the first day of training or as soon as possible. Efforts should be made to collect signed FORM-12 before the last date

- of withdrawal of candidature. However if for some reason FORM-12 of some persons on election duty could not be collected before this date, they should be collected even after this date as soon as possible. Signed FORM-12 should be sent by the District Election Officer to the concerned Returning Officers within the district for issue of Postal Ballots.
- 8. Issue of Postal Ballots to Service Voters All postal ballots for service voters will be printed within 24 hours of the finalization of list of contesting candidates and issued within the next 24 hours. The outer envelope (FORM 13C) for postal ballots to service voters shall be in YELLOW color (both for parliament and assembly elections) to distinguish them from the postal ballots for employees on poll duty. On the envelope in Form 13C, the complete particulars of the Parliamentary or Assembly Constituencyu, as the case may be, should be clearly mentioned. Chief Electoral Officer will have a meeting with the head of the postal department for the State, and work out an arrangement that the postal ballots for service voters are handed over by the Returning Officer/Asstt. Returning Officer of each constituency to a designated employee of the postal department nominated for this purpose. Postal Department shall then ensure that all postal ballots for service voters are delivered to the respective Record Offices within 48 hours.
 - Issue of Postal Ballots to other categories The District Election Officer will fill 9. the information of facilitation center for each employee in the database. In general, each training center will also be a facilitation center so that Voters on election duty can cast their postal ballots when they come for second/subsequent training to be imparted after the printing of postal ballot. All police personnel and drivers, conductors and cleaners of vehicles used in elections will be called at least once for training for the purpose of facilitation of postal balloting by employees. If more than one training session is organized for certain categories of employees, facilitation of postal balloting should be done in each session so that if an employee has not cast his postal ballot in an earlier session, he or she is able to cast postal ballot in the next training session. The Returning Officer will prepare the Postal Ballot papers for those who have submitted signed FORM-12. This should be done as soon as possible after postal ballot paper is printed. The Returning Officers will then check the location and address of the facilitation center of the concerned employee and send the postal ballot to the Officer-in-charge of postal balloting facilitation center for being delivered to the employee.

- If the facilitation center is located in an area within the jurisdiction of the Returning Officer who issues the postal ballot, he will send the postal ballot directly to the Officer-in-charge of that postal balloting facilitation center.
- If the facilitation center is outside the jurisdiction of the Returning Officer who issues the postal ballot, but within the district then he will send it directly to the Officer-in-charge of the concerned facilitation center within the district instead of routing it through the District Election Officer.
- Generally there should be no need of sending the postal ballot outside the district as employees are generally not sent for election duty outside their district. If, however, it becomes necessary to send a postal ballot to a Facilitation Center outside the district, the District Election Officer will coordinate with the District Election Officer of the other district and do the needful.
- If any official who submits Form 12 and for whom postal ballot has been prepared does not collect the Postal Ballot paper personally at the second/subsequent training at the facilitation centre, the Postal Ballot for such person should be dispatched by Registered post with A/D within 24 hours. No postal ballot prepared for issue should be retained with the RO/any other official.
- 10. Procedure at the Facilitation Center District Election Officer shall appoint one senior officer as in-charge of postal balloting at each Facilitation Center. This officer shall be responsible for the postal balloting at the Facilitation Center. The procedure to be followed at the Facilitation Center is described below:-
- a) Information to Political Parties All Recognized Political Parties will be informed in writing the schedule of facilitation of postal balloting at the Facilitation Centers. They shall be allowed to send their representatives to witness the facilitation process at the Facilitation centers.
- b) Time to be set apart for Postal Balloting In each training session at least 2 hours shall be set apart for facilitation of postal balloting. If necessary more than 2 hours may be set apart for this purpose as per need. Postal Balloting shall be done after the training is over. Political Parties representatives shall be allowed in the Facilitation Center after the training is over and the process of facilitation of postal balloting begins.
- c) Arrangements for representatives of candidates Arrangement shall be made for candidates to sit and watch the process of facilitation without interfering with the

process. If any person interferes with the process of facilitation, the officer in-charge of facilitation can order such a person to leave the premises immediately.

d)

Arrangements for casting Postal Ballot in secracy - Voting compartments similar to voting compartments in polling station shall be made in each Facilitation Center. This is done so that employees are able to mark their postal ballot in complete secrecy. More than one such voting compartment can be made if necessary. Arrangement of glue/gum shall also be made to seal the envelope (Cover-A - FORM 13B) after placing the polled postal ballot in it.

- e) Availability of gazetted officers for attestation of declaration by the person casting postal ballots Under the law a declaration attested by a gazetted officer has to be made by each person in FORM-13A along with the postal ballot. For this purpose at least one gazetted officer shall be put on duty by the District Election Officer at each Facilitation Center. The gazetted officer shall attest the declaration based on the identification of the voter by his identity documents. He must check before attestation that the Sl.no. of the ballot paper is filled up in the space provided in the declaration, it is signed by the elector and his postal address is mentioned. The attesting officer should append full signature with date and write in hand or put a stamp showing his designation & office address.
- f) Issue of Postal Ballots at the Facilitation Center Officer in-charge of a Facilitation Center will issue the postal ballot received from the Returning Officer to the voter for whom it is meant after verifying his identity based on EPIC or any other photo identity document, and obtain his signature as a token of having received the postal ballot in a register as per the FORMAT given below:-

roll elector in proof of his / her identification	
---------------------------------------------------	--

This register should be scaled in the same manner as the Register in Form 17A and kept alongwith other statutory covers mentioned in rule 93 (1).

Copy of the above register may be given to the candidates who demand for it after the date of poll in the constituency

g) Time upto which Postal Ballot can be issued.- Provisions regarding intimation by voters on election duty for issue of postal ballot paper, procedure for issue of postal ballot paper and the time for return of postal ballot paper are given in Rules 20, 23 and 27 of the Conduct of the Elections Rules 1961. As per these provisions, whenever and 27 of the Conduct of the Elections Rules 1961. As per these provisions, whenever any postal ballot paper is issued to voters on election duty, in the counterfoil of the any postal ballot paper the electoral roll number of the elector, as entered in the marked copy of ballot paper the electoral roll set apart for conduct of poll at the polling station, is to be entered, and in the said marked copy of the electoral roll the words "PB" is to be marked against the name of the elector to indicate that a postal ballot paper has been issued to the elector in order to ensure that the same elector is not allowed to vote at any polling station. After postal ballot papers have been issued to voters on election duty entitled to vote by post, the RO has to send the relevant parts of electoral roll to the concerned Presiding Officers for marking the names of electors who cast their vote on EVM at the polling station on the day of poll. After the poll, this marked copy is to be sealed and kept in safe custody

It is clear from the above provisions of law that once the marked copy of the electoral roll is ready to be sent to the Presiding Officers under clause (a) of sub rule (5) of Rule 23 of CE Rules 1961, no postal ballot paper can be issued thereafter. Therefore no ballot paper can be issued after the stage of preparing marked copy of electoral roll for supply to the presiding officers for conduct of poll.

- h). Process of Postal Balloting After receiving his or her postal ballot, the voter shall go into the voting compartment and mark the postal ballot in secrecy. He shall write the serial number of the postal ballot paper, if not already filled up, in the space provided for the same in the declaration in FORM 13A and on the envelope in which the polled postal ballot is kept. He shall then keep the marked postal ballot in the inner envelope (Form 13B Cover A) meant for this purpose and seal it properly. The voter shall thereafter sign the declaration in FORM-13A, write his/her postal address of registration in the electoral roll, write his name in the space provided and get it attested by a gazetted officer as required by law. The polled postal ballot should not be shown to the officer whose attestation is obtained on the declaration in FORM 13A. He shall then keep the sealed inner envelope containing the polled postal ballot and the declaration in FORM-13A, duly signed and attested, in the bigger envelope (Form 13C Cover B) and seal this as well. The voter will then cast his postal ballot in the Facilitation Ballot Box as described below.
- Casting of postal ballots in the facilitation ballot box A large steel trunk with one opening at the top for casting of postal ballots shall be used as a facilitation ballot box

at the facilitation center. Before the casting of postal ballots is started the empty facilitation ballot box will be opened and shown to all present. The facilitation ballot box will then be sealed by the officer in-charge of the Facilitation Center. Every voter shall cast his or her postal ballot in the Facilitation Ballot Box after marking it and sealing it in the envelopes as described above. This facilitation ballot box will be kept only on the second / subsequent training days at the respective training venues only.

- j) Sorting of postal ballots - After all postal ballots for the day have been cast, the box will be opened by the officer in-charge of the Facilitation Center in the presence of the representatives of political parties. All the postal ballots will be taken out of the box and the empty box will be shown to the said representatives of political parties. The postal ballot envelops will be sorted Assembly Constituency wise and the total number of postal ballot envelopes received for each Assembly Constituency will be entered in a Statement in FORMAT-1 to be maintained for this purpose at the facilitation center. Representatives of political parties present will be requested to put their signatures on the register and will be given a copy of the relevant pages of the register. All postal ballot envelopes for one Assembly Constituency will be kept in a large envelope meant for that Assembly Constituency. The name of the Facilitation Centre, the date of Facilitation and the number of postal ballots contained therein will be clearly written on this envelope. The number and name of the Assembly Constituency for which the envelope is meant will also be clearly written on the envelope. This envelope will then be sent to the Returning officer of the concerned Assembly Constituency along with a copy of the relevant Statement in Format-1 through special messenger appointed for this purpose not below the rank of Deputy Tahsildar.
- Videography of the postal balloting process The entire process of postal balloting will be videographed.

It should be noted that once a postal ballot paper is issued to a voter on election duty, he/she can vote only through the Postal Ballot even if the official is exempted / not deployed on election duty.

11. Monitoring of the process of Postal Balloting at Facilitation Centers - The officer in-charge of the Facilitation Center will prepare a return in FORMAT-2 on every day when facilitation of postal ballots is done at the facilitation center and will send it to the DEO. The DEO of every district will compile the return in FORMAT-2 for his district every day till the

facilitation for postal ballots is over in the district, for the postal ballots cast in the facilitation centers of his district. A copy of this return will be sent every day to the Chief Electoral Officer. CEO will compile the returns of the entire State in FORMAT-2 and will send a copy of the compiled FORMAT-2 to the Commission every day till the facilitation of postal ballots is over in the State. Chief Electoral Officer will also send a copy of return in FORMAT-2 every day to all recognized political parties.

- 12. Storage of Postal Ballots received by the Returning Officer Returning Officer of the concerned Assembly Constituency shall keep the envelope containing postal ballots along with the copy of the relevant statement in Format-1 in a special strong room made especially for this purpose.
- 13. On the day of dispatch of polling parties also a steel trunk (facilitation ballot box) shall be kept at the dispatch center so that any election duty official who did not cast vote at the training session can drop the envelope contai8ning the postal ballot in such facilitation ballot box. After all the parties have left, this facilitation ballot box will be opened and sorted constituency wise and sent to the respective ROs in sealed envelopes in the same manner as explained above. Candidates should be informed in advance about this activity so that if they want to depute any representative they may do so.
- 14. If any voter did not cast vote at the facilitation centre / dispatch centre then he can vote only by post. No drop box facility shall be available in the office of the ROs.

15. Receipt of Postal Ballots by Post-

- a) Arrangement to be made with Postal Department For receiving back postal ballots by post, the Chief Electoral Officer will make an arrangement with the Postal Department and ask them to nominate one post office for each Parliamentary/Assembly Constituency which will deliver postal ballots every day to the respective Returning Officer. The time of delivery will be fixed at 3 PM every day at the office of the Returning Officer, except for the counting day when the time for delivery will be before 8 AM or such other time fixed for commencement of counting, at the counting center for that Assembly Constituency. The list of counting centers and the addresses of ROs offices will be communicated in writing to the Postal Department by the CEO.
- b) Political Parties and Candidates to be present at the time of receipt of postal ballots by post - All recognized political parties and contesting candidates will be informed in writing that they or their representatives may remain present at the time

- of delivery of postal ballots by the post office. A pass should be issued to the nominated postal department employee to enter the counting center on counting day for this purpose.
- Procedure on receiving postal ballots by post The postal ballots delivered by the post office will be counted in the presence of the political party representatives and candidate representatives and an acknowledgement of the number of postal ballots received will be given to the post office. A copy of this acknowledgement shall be kept in the record of the RO. The number of postal ballots received will be entered in the daily return in FORMAT-3 by the RO. The entire process will be videographed.
- d) Storage of postal ballots received by post The Retuning Officer will keep all postal ballots received from the post office every day in a separate envelope for that day and write on the envelope the date and words "Postal Ballots Received by Post". He will keep this envelope also in the strong room for postal ballots every day after the post has been received.
- return of the Postal Ballots received from facilitation centers in Statement-3 every day till he stops receiving postal ballots from facilitation centers. He will also enter the number of postal ballots received by post in the return on Statement-3 till the day of counting. He will send a copy of the return in FORMAT-3 to the Chief Electoral Officer every day through the DEO of the District. He will also send a copy of the return in FORMAT-3 to all the candidates of his Constituency. The Chief Electoral Officer will compile the information of the State in FORMAT-3 every day and will send a copy to the Commission. The CEO will also send a copy of the compiled FORMAT-3 to all recognized political parties.
- 16. Sending postal ballots to the place of counting where counting is not done at RO headquarter In those cases where the counting is done at a place other than the RO headquarters, the postal ballots for the Parliamentary/Assembly Constituency will be transferred to another strong room for the postal ballots for the concerned Parliamentary/Assembly Constituency at the counting centers, one day before the day of counting. For this purpose, the RO shall inform in writing to the candidates the time at which this will be done. The strong room for postal ballots shall be opened in the presence of the candidates or their representatives present. All postal ballots will then be kept in a large steel box which will be sealed in the presence of candidates and their representatives. This box will then be carried under guard of armed CPF to the strong room for postal ballots at the

counting center. Candidates and their representatives shall be allowed to follow the vehicle carrying postal ballots. The box containing postal ballots will then be kept in the strong room for postal ballots at the counting center in the presence of the candidates and their representatives Strong room will then be sealed and signatures of candidates and their representatives shall be taken as proof of their presence. Candidates and their representatives shall be allowed to keep watch on the strong room for which they will be provided reasonable facilities by the DEO. The whole process will be video graphed. On the day of the counting, the returning officer will open the strong room and bring all postal ballots and copies of the relevant pages of registers received from the facilitation centers to the table where the postal ballots will be counted.

- Tallying of postal ballot numbers before counting The envelopes received from 17. facilitation centers will be opened one by one and the number of postal ballots found in each envelope will be tallied with the numbers mentioned in the copies of relevant pages of the registers received from the facilitation center. The result of such tallying will be shown to the candidates and their election agents before the counting of postal ballots. Similarly, the register of postal ballots received by post shall also be shown to the candidates and their election agents.
- The Commission has directed that these instructions should be brought to the notice 18. of all concerned immediately. A copy of this letter should be immediately given to all the recognized political parties by the Chief Electoral Officer at the State level and by the District Election Officers at the district level. A copy of this letter should also be given to all the contesting candidates by the Returning Officer after the last date of withdrawal.

Yours faithfully,

(Ashish Chakraborty)

Secretary

Format -1

Statement regarding Postal Ballots cast at Facilitation Center

Name of State

Name of Facilitation Center_

Name & designation of Officer-in-charge

S.No.	Date	No.& Name of the Parliamentary /Assembly constituency	Total Number of postal ballots cast
Total for the			
Date			
Cumulative			
Total Till Date			

Format -2

District-wise Statement of Postal Ballots Cast at Facilitation Centers within the district

(To be prepared on each day facilitation is provided)

	sembly			
	As			
×	Parliamentary /			
	the		1	
10	for			
	allots cast	Till Date		
	postal b			
ituency(ies)	Total Number of postal ballots cast for the Parliamentary / Assembly Constituency	On Date		
Name of State Name of District No. & Name of Parliamentary/Assembly Constituency(ies) Date of facilitation	Name of Facilitation Center		District	State
Name o No. & No. Date of fa	S.No.		Total for District	Total for State

Format -3

Statement of Postal Ballots Received by RO (Summary)

Name of State

Name of District

								otal for the constituency	otal for t
date		till right	1						
CONTROLLED THE	0.00	till date		e till date	Date	till date			
		cumulative	on Date	cumulativ	ed on	cumulative	on Date		
District	Poor	Received	Received	Received	Receiv	Received	veceived		
	post)			COLOUR	Action colonil	•	0		
from facilitation centers and by	from facilitation	thers	duty and others	voters (Envelop in	voters	Centers	Facilitation Centers		
(including by special messanger	(Including by s	For voters on election	For voters	service	From	e y y	messenger		
Total Postal Ballots Received	Total Postal	d by Post	llots received by Post	r of Postal ba	Numbe	1030	received		
						Doctal B-Hata	Number of	NO. GITTE INGINE OF PC/ AC	2000

भारत निर्वाचन आयोग .

दिनांक : 7 मार्च, 2014

सं. 52/2014-एस डी आर/

सेवा में.

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दमन और दीव, दादरा एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप जिनमें एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, को छोड़कर)

विषय:- डाक मत पत्रों को जारी करने के लिए दिशा-निर्देश तत्संबंधी।

संदर्भ :- भारत निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 52/2012/एस डी आर/216-250, दिनांक 13 अगस्त 2012, सं. 52/2012/एस डी आर/181-215, दिनांक 13 अगस्त, 2012 और सं. 2/2012/एस डी आर/251-285, दिनांक 13 अगस्त, 2012।

महोदय / महोदया.

- 1. निर्वाचन आयोग ने मतदान ड्यूटी पर व्यक्तियों द्वारा डाक मत पत्रों को डालने की सुविधा हेतु समय—समय पर विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं। आयोग ने इन अनुदेशों को वर्ष 2012—2013 में आयोजित विभिन्न राज्य विधान समाओं के साधारण निर्वाचनों के दौरान संशोधित और परिष्कृत किया था। इसका यह परिणाम हुआ है कि मतदान ड्यूटी पर व्यक्तियों द्वारा डाक मत पत्रों के डालने में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आयोग ने, मतदान ड्यूटी पर व्यक्तियों द्वारा डाक मत पत्रों के जिरए मतदान करने की सुविधा सम्बन्धी प्रक्रिया में विभिन्न लॉजिस्टिकल समस्याओं पर विचार किया है और इन अनुदेशों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। ये विस्तृत अनुदेश निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों द्वारा डाक मत पत्रों के जिरए मतदान करने की सुविधा से संबंधित समी विद्यमान अनुदेशों के अधिक्रमण में जारी किए जा रहे हैं।
- 2 निर्वाचन ड्यूटी पर वे व्यक्ति जो डाक मत पत्र (पी बी) और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र (ई डी सी) के पात्र हैं :- निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त वे सभी व्यक्ति जो उस मतदान केन्द्र पर, जहां, वे मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं, अपना वोट डालने में असमर्थ हैं, वे या तो निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र या फिर डाक मत पत्र की सुविधा के पात्र हैं। यदि वे उसी निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर लगाए जाते हैं, जहां वे एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं तो वे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पात्र हैं, जो उन्हें उस मतदान केन्द्र पर मतदान करने का हकदार बनाता है जहां वे ड्यूटी पर हैं। यदि वे उस निर्वाचन क्षेत्र से, जहां वे मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं, अन्य निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर हैं। यदि वे उस निर्वाचन क्षेत्र से, जहां वे मतदाता के तौर पर पंजीकृत है, अन्य निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर हैं तो वे डाक मत पत्र के लिए पात्र हैं। इन व्यक्तियों में मतदान

दलों के कर्मचारी, सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ऐसे कर्मचारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों, कनट्रोल रूम और निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यालयों में तैनात हैं, माइको—प्रेक्षक, सभी पुलिस कर्मी, होम गार्ड, चालक, परिचालक और वाहनों के क्लीनर जो निर्वाचन कार्यों में कार्यरत हैं, शामिल हैं यदि ऐसे व्यक्ति निर्वाचन संबंधी ड्यूटी पर होने के कारण उन मतदान केन्द्रों पर मतदान करने में असमर्थ हैं जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत है। अभ्यर्थियों के मतदान एजेंट भी, इस प्रयोजनार्थ, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति उसी निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर है जहां वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है तो वह निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण—पत्र के लिए पात्र है और यदि वह अन्य निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर है तो वह डाक मत पत्र के लिए पात्र है।

- 3. निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति द्वारा डाक मत पत्र की सुविधा के कारण आयोग ने समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं कि निर्वाचन ड्यूटी पर बहुत से निर्वाचक अपना डाक मत पत्र डालने में असमर्थ होते हैं और ऐसे व्यक्तियों द्वारा डाले गए डाक मत पत्र अनेकों बार गणना के समय रिटर्निंग अधिकारी के पास नहीं पहुंचते हैं। आयोग को उन व्यक्तियों को अनुचित प्रभाव डालने या भयभीत करने की संभावना के बारे में भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो डाक मत पत्र द्वारा अपना मत डालते हैं इन मामलों को हल करने के लिए, आयोग ने ऐसी शिकायतों का निराकरण करने के लिए प्रशिक्षण सत्रों के दौरान निर्वाचन ड्यूटी पर व्यक्तियों द्वारा डाक मत पत्र डालने को सुविधाजनक बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे प्रशिक्षण सत्रों में डाक मत पत्रों के माध्यम से मतदान को फैसिलिटेशन केन्द्र में मतदान के रूप में सन्दर्भित किया गया है। आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि सरलीकरण पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए ताकि सभी पणधारी इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में शामिल हो सकें।
 - 4. आगामी लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2014 के दौरान, पुलिस कार्मिक, वाहनों के चालक/परिचालक/सफाईकर्मी, वीडियोग्राफी में लगे व्यक्ति, आदि सहित मतदान स्टाफ अधिकांशतः संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में से ही लिया जाएगा। अतः, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं की बड़ी संख्या निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण-पत्र का प्रयोग करते हुए मतदान कर सकते हैं। यद्यपि, यदि ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर खा है, जहां वे एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डाक मत पत्र के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा।
 - 5. डाटाबेस की तैयारी निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण जिन व्यक्तियों को डाक मत पत्र जारी किए जाने हैं उनका एक डाटाबेस अग्रिम रूप से तैयार किया जाना चाहिए। अन्य सूचना के साथ, इन डाटाबेसों में विधान समा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम, भाग में भाग संख्या एवं क्रंम संख्या जहां व्यक्ति एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है, के बारे में सूचना आवश्यक तौर पर होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या डाटाबेस में शामिल किया जाना चाहिए। डाक मत पत्रों के माध्यम से मतदान करने के लिए फैसिलिटेशन केन्द्रों के स्थान एवं पते के बारे में सूचना रखने के लिए डाटाबेस में स्थान होना चाहिए। फैसिलिटेशन केन्द्र वही होगा जो स्थान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया हो। यदि एक व्यक्ति एक से अधिक बार प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है तो सभी प्रशिक्षणों की सूचना डाटाबेस में शामिल की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति के निर्वाचक नामावली पंजीकरण के बारे में सूचना, निर्वाचक मतदाता पहचान पत्र संख्या के आधार पर सर्च सुविधा को प्रयोग द्वारा और नाम और सरनाम के आधार पर सर्च सुविधा द्वारा ढूंढा जा सकता है। यह सर्च सुविधा सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। ये डाटाबेस निम्नलिखित तरीक से तैयार किए जाने चाहिए :—

- (क) निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किए गए कर्मचारियों का डाटाबेस जिला निर्वाचन अधिकारि को मतदान दलों में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के लिए एक डाटाबेस और निर्वाचन ड्यूटी जैसे सैक्टर अधिकारियों, मतदान दलों में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के लिए एक दूसरा डाटाबेस तैयार करना है। इस डाटाबेस में जोनल अधिकारियों, माइक्रो—ऑबजर्वरों आदि के लिए एक दूसरा डाटाबेस तैयार करना है। इस डाटाबेस में किसी भी प्रकार की निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल होने चाहिए यदि ऐसा व्यक्ति निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण, मतदान केन्द्र जहां पर वह एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत है पर अपना मतदान करने में असमर्थ हैं।
- (ख) पुलिस कार्मिकों के मामले में जिन्हें निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाता के रूप में माना जाता है, पुलिस अधीक्षक या अन्य सक्षम अधिकारी, जिले में सभी पुलिस कार्मिकों (होम गार्डो सहित, यदि निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात हों) के डाटाबेस का रख रखाव करेगा। उस डाटाबेस में, निर्वाचक विवरण जैसे विधान सभा की संख्या एवं नाम, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं क्रम संख्या जहां पर निर्वाचक एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत है. भी शामिल किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक, जिले में पुलिस कार्मिकों के लिए तैनाती योजना अग्रिम रूप में तैयार करेंगे। इस स्तर पर, निर्वाचन ड्यूटी पर उन्हें किस निर्वाचन क्षेत्र में लगाया गया है, का पता चल जाएगा कि उनकी तैनाती वहां की गई है जहां वे निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में की गई है। जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र से बाहर तैनात किया गया है, वे डाक सत पत्र या ई डी सी के माध्यम से मतदान करने के पात्र होगें। पुलिस अधीक्षक, पुलिस कार्मिकों द्वारा डाक मत या निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा संबंधी सभी क्रियाकलापों के साथ समन्वय करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। पुलिस अधीक्षक या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस कार्मिको को निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र या डाक मत पत्र, जैसा भी मामला हो, हेतु आवेदन करने के लिए फार्म 12 क (निर्वाचन ड्यूटी के लिए) या फार्म 12 (डाक मत पत्र के लिए) उपलब्ध करवाएगा। पुलिस अधीक्षक या नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचक नामावली विवरण सहित ये आवेदन फार्म 12 और 12 क में पुलिस कार्मिकों द्वारा विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षर किए हुए, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास मतदान की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले भेज दिए जाएं ताकि निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र या डाक मतपत्र, जैसा भी मामला हो, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद जारी किए जा सकें।
- (ग) इसी प्रकार, विशिष्ट निर्वाचन संबंधी ड्यूटी के लिए नियुक्त चालकों / परिचालकों / सफाई किमेंयों और अन्य व्यक्तियों के मामले में भी एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। नोडल अधिकारी, इस प्रकार निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किए गए व्यक्तियों की निर्वाचक नामावली के पंजीकरण संबंधी विवरण जैसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि का भाग संख्या और क्रम संख्या प्रमाणित करेगा और उन्हें फार्म 12क (निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र के लिए) उपलब्ध करवाएगा यदि वे निर्वाचन ड्यूटी पर पंजीकरण वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगाए जाते हैं और यदि वे भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन ड्यूटी पर लगाए जाते हैं तो उन्हें फार्म 12 (डाक मत पत्र हेतु) जैसा भी मामला हो, ई डी सी या पी बी के लिए आवेदन करने हेतु फार्म उपलब्ध करवाएगा। नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचक नामावली विवरण सिहत ये आवेदन फार्म 12 और फार्म 12 क में, निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए चालक, परिचालक आदि द्वारा विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास मतदान की तारीख से, कम से कम, 7 दिन पहले भेज दिए जाए ताकि निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र या डाक मतपत्र, जैसा भी मामला हो, निर्वाचक नामावली की विन्हित प्रति में आवश्यक प्रविध्व करने के बाद जारी किए जा सकें।

- 6. पूर्व-पूरित फार्म-12 जारी करना और हस्ताक्षरित फार्म-12 एकत्रित करना :- फार्म 12 उन समी व्यक्तियों को जारी किया जाना चाहिए जिन्हें उनके पंजीकरण वाले निर्वाचन क्षेत्र से बाहर निर्वाचन ड्यूटी पर लगाया गया है। जहां की निर्वाचक नामावली में व्यक्ति पंजीकृत है, वहां निर्वाचक का नाम, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, भाग सं० एवं भाग में क्रम संख्या जैसी सूचना देते हुए फार्म-12 को ज्वाचन पूर्व-पूरित किया जा सकता है। यह सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए कर्मचारी डाटाबेस में उपलब्ध होनी चाहिए। पूर्व-पूरित फार्म-12 मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार करवाए गए सॉफ्टवेयर द्वारा कर्मचारियों के डाटाबेस से मुदित किया जा सकता है। फार्म-12 में नीचे की तरफ एक नोट मुदित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी को पूर्व-पूरित विवरण की जांच कर लेनी चाहिए और यदि ये विवरण ठीक नहीं है तो इन्हें अधिकारी के माध्यम से बांटा जाना चाहिए। निर्वाचनों में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों के चालकों, परिचालकों, सफाई किमेंयों को फार्म-12 नोडल अधिकारी / परिवहन प्रभारी के माध्यम से बांटे जाने चाहिए।
- 7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि डाक मतपत्र किसी अपात्र व्यक्ति को जारी नहीं किया जाए, के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर तैनाती के प्रमाण स्वरूप नियुक्ति पत्र की प्रति और निर्वाचक फोटो पहचान—पत्र की प्रति सिहत हस्ताक्षरित फार्म—12 प्रशिक्षण के प्रथम दिन या यथा संभव जितनी जल्दी हो सके, प्राप्त कर लेना चाहिए। हस्ताक्षरित फार्म—12, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख से पहले प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तथापि, यदि किन्हीं कारणों से निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों का फार्म—12 इस तारीख से पहले प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वे इस तारीख के बाद भी यथा संभव जितनी जल्दी हो सके, इसे प्राप्त किया जा सकता है। डाक मत—पत्रों को जारी करने के लिए हस्ताक्षरित फार्म—12 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को मेज देने चाहिएं।
- 8. सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्र जारी करना :- सेवा मतदाताओं के लिए सभी डाक मत पत्र. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के 24 घण्टे के अन्दर मुद्रित हो जाने चाहिए। अगले 24 घण्टों के अन्दर जारी हो जाने चाहिए। सेवा मतदाताओं के डाक मतों के लिए बाह्य लिफाफे (फार्म 13 ग) पीले रंग (संसदीय और विधान समा निर्वाचनों, दोनों के लिए) में होंगे ताकि उन्हें मतदान ड्यूटी पर तैनात किर्मियों के लिए डाक मत पत्रों से अलग किया जा सके। फार्म 13 ग में लिफाफे पर संसदीय या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जैसा भी मामला हो, के पूर्ण विवरण, साफ तौर पर उल्लिखित होने चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य के डाक विभाग के प्रमुख के साथ एक बैटक करेंगे और यह प्रबंधन करेंगे कि सेवा इस प्रयोजन के लिए डाक मतों को, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करेगा कि सेवा मतदाताओं के लिए नामित डाक विभाग के निर्दिष्ट कर्मचारी को सौंप दिए जाएं। डाक विभाग तब यह को पहुंचा दिए जाते हैं।
- 9. अन्य श्रेणियों को डाक मत जारी करना :- जिला निर्वाचन अधिकारी डाटाबेस में प्रत्येक कर्मचारी के लिए सुविधा केन्द्र संबंधी सूचना भरेगा। सामान्यतः प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र एक सुविधा केन्द्र भी होगा तािक निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाता जब वे डाक मतपत्र के मुद्रण के बाद दिए जाने वाले दूसरे/परवर्ती प्रशिक्षण के लिए आएं तो अपना डाक मत डाल सकें। सभी पुलिस कािर्मिक और निर्वाचन में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों के चालकों, परिचालकों और सफाईकिर्मियों को कर्मचारियों द्वारा डाक मत पत्र के जिए मतदान करने की सुविधा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण देने के लिए कम से कम एक बार बुलाया जाना

चाहिए। यदि कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण सत्र एक से अधिक बार आयोजित किया जाता है तो डाक मत पत्र के जिए मतदान करने की सुविधा प्रत्येक सत्र में दी जानी चाहिए तािक यदि किसी कर्मचारी ने अपना डाक मत पूर्व के सत्र में नहीं डाला है तो वह अगले प्रशिक्षण सत्र में डाक मत डाल सके। रिटर्निंग अधिकारी उनके लिए डाक मत पत्र तैयार करेगा जिन्होंने हस्ताक्षरित फार्म-12 प्रस्तुत किया है। यह डाक मत पत्र मुद्रित होने के बाद यथा शीघ्र किया जाना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी तब संबंधित कर्मचारी के सुविधा केन्द्र के स्थान एवं पते की जांच करेगा और डाक मतपत्र को कर्मचारी के पास भेजने के लिए डाक मतपत्र के जिए गतदान करने वाले सुविधा केन्द्र के प्रभारी को भेजेगा।

- यदि सुविधा केन्द्र ऐसे क्षेत्र में अवस्थित है जो डाक मतपत्र जारी करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर है तो वे डाक मतपत्र सीधे उस डाक बैलटिंग सुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को भेजेंगे।
- यदि सुविधा केन्द्र डाक मतपत्र जारी करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के क्षेत्राधिकार के बाहर किन्तु जिलें के भीतर हो तो वे इसे जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भेजने के बजाय, जिले के भीतर स्थित संबंधित सुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को सीधे भेजेंगे।
- डाक मतपत्र को जिले से बाहर भेजने की सामान्य तौर पर जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कर्मचारियों को सामान्य तौर पर अपने जिले के बाहर निर्वाचन ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाता है। हालांकि, यदि डाक मतपत्र को जिले से बाहर रिथत सुविधा केन्द्र भेजना जरूरी हो जाता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी दूसरे जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ समन्वय करेंगे और यथापेक्षित कार्रवाई करेंगे।
- यदि कोई कर्मचारी, जिसने फार्म 12 प्रस्तुत किया है और जिसके लिए डाक मतपत्र तैयार किया गया है, डाक मतपत्र को फैसिलिटेशन केन्द्र से द्वितीय/अनुवर्ती प्रशिक्षण में वह उसे व्यक्तिशः कलेक्ट नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए डाक मतपत्र 24 घंटों के भीतर पावती सहित पंजीकृत डाक के द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए। जारी किए जाने के लिए तैयार कोई भी डाक मतपत्र आरओ/किसी अन्य कर्मचारी के पास नहीं रखा जाना चाहिए।
- 10. फैसिलिटेशन केन्द्र पर प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक सुविधा केन्द्र पर एक वरिष्ठ अधिकारी को डाक बैलिटिंग के प्रभारी के रूप में नियुक्त करेंगे। यह अधिकारी सुविधा केन्द्र पर डाक बैलेटिंग के लिए उत्तरदायी होंगे। सुविधा केन्द्र पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन नीचे दिया गया है:
- (क) राजनीतिक दलों को सूचना सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सुविधा केन्द्रों पर डाक बैलेटिंग की सुविधा होने की समय—सारणी के बारें में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। उन्हें सुविधा केन्द्रों पर सुविधा प्रक्रिया देखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजने की अनुमित दी जाएगी।
- (ख) डाक बैलेटिंग के लिए अलग से निर्धारित किया जाने वाला समय प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में डाक बैलेटिंग को सुकर बनाने के लिए कम से कम 2 घंटे अलग से निर्धारित किए जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो इस प्रयोजन के लिए जरुरत के अनुसार 2 घंटे से अधिक का समय निर्धारित किया जाएगा। डाक बैलेटिंग प्रशिक्षण समाप्त होने और डाक बैलेटिंग की सुविधा की प्रक्रिया शुरु होने के बाद, फैसिलिटेशन केन्द्र में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अनुमित दी जाएगी।

- (ग) अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के लिए व्यवस्थाएं अभ्यर्थियों के लिए प्रक्रिया में बाधा पहुंचाए बगैर बैठने और फैसिलिटेशन की प्रक्रिया देखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति फैसिलिटेशन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है तो फैसिलिटेशन के प्रभारी अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तत्काल परिसर छोड़ने का आदेश दे
- (घ) गोपनीय ढंग से डाक मत पत्र डालने की व्यवस्थाएं करना प्रत्येक सुविधा केन्द्र में मतदान केन्द्र के वोटिंग कम्पार्टमेंट से मिलते—जुलते वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कर्मचारीगण अपने डाक मत पत्र पर पूर्ण गोपनीयता में निशान लगाने में सक्षम हो सकें। यदि आवश्यक हुआ तो एक से अधिक ऐसे वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाए जाएं। मतदान में प्रयुक्त डाक मत पत्र को लिफाफे (लिफाफे —क-फार्म 13 ख) में रखने के बाद उसे मुहरबंद करने के लिए ग्लू / गम की भी व्यवस्था की जाएगी।
- (ड.) डाक मत पत्र डालने के लिए व्यक्ति द्वारा घोषणा का अनुप्रमाणन करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों की उपलब्धता विधि के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति द्वारा डाक मतपत्र के साथ प्रपत्र—13क में राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित एक घोषणा की जानी है। इस प्रयोजन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक सुविधा केन्द्र में कम से कम एक राजपत्रित अधिकारी ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। राजपत्रित अधिकारी मतदाता के पहचान दस्तावेजों के अनुसार उसकी पहचान के आधार पर घोषणा का अनुप्रमाणन करेंगे। उन्हें अनुप्रमाणन से पहले इस बात की अवश्य जांच करनी चाहिए कि मत पत्र की क्रम संख्या घोषणा में दिए गए स्थान में भरी जाए, निर्वाचक द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएं और उनके डाक पते का उल्लेख किया जाए। अनुप्रमाणनकर्ता अधिकारी को दिनांक के साथ पूरे हस्ताक्षर करने चाहिए और हाथ से लिखना चाहिए या अपना पदनाम एवं कार्यालय पता दर्शाने वाला मुहर लगाना चाहिए।
- (च) फैसिलिटेशन केन्द्र पर डाक मत पत्र जारी करना फैसिलिटेशन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त डाक मत पत्र उस मतदाता को जारी क़रेंगे जिसके निमित्त वह मत पत्र है। प्रभारी अधिकारी मत पत्र जारी करने से पहले एपिक या किसी अन्य फोटो पहचान दस्तावेज के आधार पर मतदाता की पहचान का सत्यापन करेंगे और डाक मत पत्र प्राप्त करने के प्रमाणस्वरूप नीचे दिए गए फार्मेंट के अनुसार एक रिजस्टर में उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे :-

अनुवर्ती क्रम सं0	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या	निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	निर्वाचक । हस्ताक्षर/अंगूटे व निशान	के अभ्युक्ति ज
	= v				

यह रजिस्टर उसी तरीके से मुहरबंद किया जाना चाहिए जैसाकि प्रपन्न 17क रजिस्टर में है और इसे नियम 93(1) में उल्लिखित अन्य सांविधिक लिफाफों के साथ रखा जाना चाहिए। जपर्युक्त रजिस्ट्र की प्रति निर्वाचन—क्षेत्र में मतदान की तारीख के बाद ऐसे अभ्यर्थियों को दी जा सकती है जो इसकी मांग करते हैं।

(छ) वह समय जब तक डाक मत पत्र जारी किया जा सकता है — डाक मतपत्र जारी करने के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं द्वारा सूचना देने, डाक मत पत्र जारी करने की प्रक्रिया और डाक मतपत्र वापस करने के लिए समय संबंधी उपबंध निर्वाचन संचालन नियमावली, 1961 के नियम 20, 23 और 27 में दिए गए हैं। इन उपबंधों के अनुसार जब कभी भी निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को कोई डाक मतपत्र जारी किए जाते हैं तो मतपत्र के अध्यन्ने में निर्वाचक की निर्वाचक नामावली संख्या, मतदान केन्द्र में मतदान के संचालन के लिए अलग रखी गई निर्वाचक नामावली संख्या की चिह्नित प्रति में यथा—प्रविष्ट, प्रविष्ट की जानी होती है, और निर्वाचक नामावली की उक्त चिह्नित प्रति में निर्वाचक के नाम के सामने शब्द पीबी यह दर्शाने के लिए चिह्नित किए जाने होते हैं कि निर्वाचक को डाक मतपत्र जारी किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वही निर्वाचक किसी भी अन्य मतदान केन्द्र में मत न डाल पाए। डाक द्वारा मतदान करने के पात्र निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को, डाक मत पत्र जारी किए जाने के बाद आर. ओ, को निर्वाचक नामावली के संगत भाग संबंधित पीठासीन अधिकारियों को भेजने होते हैं तािक वे उन निर्वाचकों के नामों को चिह्नित कर सकें जो मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर ईवीएम पर अपने मत डालते हैं। मतदान के बाद यह चिह्नित प्रति मुहरबंद की जानी होती है और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाती है।

विधि के उपर्युक्त उपबंधों से स्पष्ट है कि निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 23 के उप-नियम (5) की शर्त (क) के अंतर्गत निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति जब पीठासीन अधिकारियों को भेजे जाने के लिए तैयार हो जाए तो उसके बाद कोई भी डाक मतपत्र नहीं जारी किया जा सकता है। इसलिए, मतदान के संचालन के लिए पीठासीन अधिकारियों को भेजे जाने के लिए निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति तैयार करने के चरण के बाद कोई भी मत पत्र जारी नहीं किया जा सकता है।

- (ज) डाक मतदान की प्रक्रिया अपना डाक मतपत्र प्राप्त करने के बाद, मतदाता वोटिंग कम्पार्टमेंट में जाएंगे और गोपनीय रूप से डाक मत पत्र पर निशान लगाएंगे। वे डाक मतपत्र की क्रम संख्या, यदि वह पहले से न भरी गई हो, फार्म 13क में घोषणा में उसके लिए दिए गए स्थान में और उस लिफाफे पर जिस में मत डाला हुआ डाक मतपत्र रखा जाता है, लिखेंगे। तब वे चिहनित डाक मतपत्र को इसके प्रयोजनार्थ बने भीतरी लिफाफे (फार्म 13ख आवरण क) में रखेंगे और उसे अच्छी तरह से मुहरबंद करेंगे। तदुपरांत, मतदाता फार्म-13क में घोषणा पर हरताक्षर करेंगे/करेंगी, निर्वाचक नामावली में पजीकरण का अपना डाक पता लिखेंगे/लिखेंगी, दिए गए स्थान में अपना नाम लिखेंगे/लिखेंगी और जैसाकि विधि द्वारा यथापेक्षित है, उसे एक राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित करवाएंगे/करवाएंगी। मत डाला गया मतपत्र उस अधिकारी को नहीं दिखाया जाना चाहिए जिसका अनुप्रमाणन फार्म 13क में घोषणा पर हासिल किया गया है। तब ये मतदान किए हुए डाक मतपत्र वाले मुहरबंद भीतरी लिफाफे और फार्म-13क में विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित घोषणा को अपेक्षाकृत बड़े लिफाफे (फार्म 13ग-आवरण ख) में रखेंगे और इसे भी मुहरबंद करेंगे। इसके बाद मतदाता फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स में नीचे यथावर्णित तरीके से अपना डाक मतपत्र डालेंगे।
- (झ) फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स में डाक मतपत्रों का डाला जाना फैसिलिटेशन केन्द्र में एक बड़े स्टील संदूक, जिसमें डाक मतपत्र डालने के लिए उपरी हिस्से में एक औपनिंग हो, का फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स के

कप में इस्तेमाल किया जाएगा। डाक मतपत्र डाला जाना शुरू करने से पहले खाली फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स खोला जाएगा और उपस्थित सभी व्यक्तियों को दिखाया जाएगा। इसके बाद, फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स फैसिलिटेशन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा मुहरबंद किया जाएगा। प्रत्येक मतदाता फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स में अपने डाक मतपत्र को उस पर निशान लगाने और उसे ऊपर यथा—वर्णित तरीके से लिफाफे में मुहरबंद करने के बाद, डालेगा। यह फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स केवल संबंधित प्रशिक्षण स्थानों में द्वितीय/अनुवर्ती प्रशिक्षण दिनों में रखा जाएगा।

- अ) डाक मतपत्रों की छंटाई करना निर्धारित दिन के लिए सभी डाक मतपत्रों को डाल दिए जाने के बाद बॉक्स राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थित में फैसिलिटेशन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा खेाला जाएगा। सभी डाक मतपत्र बॉक्स से बाहर निकाले जाएगे और खाली बॉक्स राजनीतिक दलों के उक्त प्रतिनिधियों को दर्शाया जाएगा। डाक मतपत्र लिफाफे विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्रवार छांटे जाएंगे और प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र के लिए प्राप्त डाक मतपत्र लिफाफों की कुल संख्या की प्रविष्टि सूचना केन्द्र में इस प्रयोजनार्थ बनाए रखे जाने वाले फार्मेट—1 में विवरण में की जाएगी। उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे रिजस्टर पर अपने हस्ताक्षर करें और उन्हें रिजस्टर के संगत पृष्टों की एक प्रति दी जाएगी। एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी डाक मतपत्र लिफाफे उस विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र के तात्पर्यित बडे लिफाफे में रखे जाएंगे। इस लिफाफे पर फैसिलिटेशन केन्द्र का नाम, फैसिलिटेशन की तिथि और उसमें निहित डाक मतपत्रों की संख्या सुरपष्ट तरीके से लिखी जाएगी। लिफाफे पर उस विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र की संख्या एवं नाम भी सुरपष्ट तरीके से लिखें जाएंगे जिसके लिए लिफाफे तात्पर्यित है। तदुपरांत, यह लिफाफा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेष संदेशवाहक, जिसका रैंक डिप्टी तहसीलदार के रैंक तत्पश्चात इस लिफाफे को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त विशेष संदेशवाहक जो उप तहसीलदार के रैंक से कम न हो, के माध्यम से फार्मेट—1 में संगत विवरण की एक प्रति के साथ संबंधित विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को भेजा जाएगा।
 - (ट) डाक बैलेटिंग प्रक्रिया की वीडियोग्राफी डाक मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

यह नोट किया जाए कि निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाता को डाक मतपत्र एक बार जारी कर दिए जाने के बाद वह उस परिस्थिति में भी केवल डाक मतपत्र के माध्यम से ही मतदान कर सकते/सकती हैं जब कर्मचारी को निर्वाचन ड्यूटी से छूट-प्राप्त हो/तैनात नहीं किया गया हो।

11. फैसिलिटेशन केन्द्रों में डाक बैलेटिंग की प्रक्रिया का अनुवीक्षण करना — फैसिलिटेशन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी प्रतिदिन फार्मेट—2 में एक विवरणी तैयार करेंगे जब फैसिलिटेशन केन्द्र में डाक मतपत्रों का फैसिलिटेशन किया जाता है और उसे जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे। प्रत्येक जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में डाक मतपत्रों के लिए फैसिलिटेशन के समाप्त होने तक प्रत्येक दिन अपने जिले के लिए अपने जिले के फैसिलिटेशन केन्द्रों पर डाले गए डाक मतपत्रों के लिए फार्मेट—2 में विवरणी का संकलन करेंगे। इस विवरणी की एक प्रति प्रत्येक दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी फार्मेट—2 में संपूर्ण राज्य की विवरणियों का संकलन करेंगे और संकलित फार्मेट—2 की एक प्रति

राज्य में डाक मतपत्रों का फैंसिलिटेशन समाप्त हो जाने तक आयोग को भेजेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों को भी फार्मेट-2 में रिटर्न की एक प्रति भेजेंगे।

- 12. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त डाक मतपत्रों का भंडारण संबंधित विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी फार्मेट—1 में संगत विवरण की प्रति के साथ डाक मतपत्रों वाले लिफाफे को इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बनाए गए विशेष स्ट्रांग रूप में रखेंगे।
- 13. मतदान दलों के भेजे जाने के दिन डिस्पैच सेंटर पर इस्पात का एक संदूक (फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स) भी रखा जाएगा ताकि निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात जिस किसी कर्मचारी ने प्रशिक्षण सत्र में मतदान नहीं किया हो वह ऐसे फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स में डाक मतपत्र वाले लिफाफे को डाल सके। सभी पार्टियों के चले जाने के बाद फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स खोले जाएंगे और निर्वाचन क्षेत्रवार छांटे जाएंगे और मुहरबंद लिफाफे में उसी तरीके से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजे जाएंगे जैसािक ऊपर स्पष्ट किया गया है। अभ्यर्थियों को इस कार्यकलाप के बारे में पहले से अवगत कराया जाना चािहए तािक यदि वे कोई प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करना चाहें तो ऐसा कर सकें।
- 14. यदि कोई मतदाता फैसिलिटेशन केन्द्र / डिस्पैच सेंटर पर मत नहीं डाल पाता है तो वह केवल डाक के जिए ही मत दे सकता / सकती है। रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों को कोई भी ड्राप बॉक्स सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

15. डाक मत पत्रों को डाक द्वारा प्राप्त करना :-

- क) डाक विमाग के साथ की जाने वाली व्यवस्था डाक मतपत्र डाक द्वारा वापस प्राप्त करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डाक विभाग के साथ व्यवस्था करेंगे और उन्हें प्रत्येक संसदीय / विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक ऐसा डाकघर नामित करने लिए कहेंगे जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रत्येक दिन डाक मतपत्र डिलीवर करेंगे। डिलीवरी का समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अपराहन 3 बजे प्रतिदिन नियत किया जाएगा। मतगणना का दिन इसका अपवाद होगा जब डिलीवरी का समय पूर्वाहन 8 बजे से पहले या उस विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र के लिए मतगणना केन्द्र पर मतगणना शुरू होने के लिए नियत ऐसा कोई अन्य समय होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना केन्द्रों और रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों के पतों की सूची के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।
- ख) डाक द्वारा डाक मतपत्रों को प्राप्त करने के समय राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों का उपस्थित होना सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा कि वे या उनके प्रतिनिधि डाकघर द्वारा डाक मतपत्रों की डिलीवरी के समय उपस्थित रह सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए मतगणना दिवस के दिन मतगणना केन्द्र में डाक विभाग के नामित कर्मचारी को प्रवेश देने के लिए एक पास जारी किया जाना चाहिए।
- ग) डाक द्वारा डाक मत पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया डाक घर द्वारा डिलीवर किए गए डाक मत पत्रों की गिनती राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों तथा अभ्यर्थी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की जाएगी तथा प्राप्त किए गए डाक मत पत्रों की संख्या की पावती डाक घर को दी जाएगी। इस पावती की एक प्रति रिटर्निंग

अधिकारी के रिकार्ड में रखी जाएगी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए डाक मत पत्रों की प्रविष्टि फार्मेट—3 में दैनिक विवरणी में की जाएगी। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

- घ) डाक द्वारा प्राप्त डाक मत पत्रों का संग्रहण रिटर्निंग अधिकारी डाक घर से प्राप्त सभी डाक मत पत्रों को प्रत्येक दिन उस दिन के लिए नियत एक अलग लिफाफे में रखेंगे तथा लिफाफे के ऊपर तारीख एवं शब्द 'डाक द्वारा प्राप्त डाक मत पत्र' लिखेंगे। डाक प्राप्त किए जाने के पश्चात वह इस लिफाफे को भी प्रत्येक दिन डाक मत पत्रों के स्ट्रांग रुम में भी रखेंगे।
- ड.) डांक द्वारा प्राप्त किए गए डांक मत पत्रों का अनुवीक्षण रिटर्निंग अधिकारी फैसिलीटेशन केन्द्रों से प्राप्त डांक मत पत्रों की विवरणी प्रत्येक दिन विवरण—3 में तब तक तैयार करेंगे जब तक कि उन्हें फैसिलीटेशन केन्द्रों से डांक मत पत्रों का प्राप्त होना बंद न हो जाए। वे गणना के दिन तक विवरणी में विवरण—3 पर डांक द्वारा प्राप्त किए गए डांक मत पत्रों की संख्या की भी प्रविष्टि करेंगे। वे जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक दिन फार्मेंट—3 में विवरणी की एक प्रति भेजेंगे। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों को विवरणी की एक प्रति फार्मेंट—3 में भी भेजेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक दिन राज्य की सूचना को फार्मेंट—3 में संकलित करेंगे तथा इसकी एक प्रति आयोग को भेजेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी संकलित फार्मेंट—3 की एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी भेजेंगे।
- ऐसे मतगणना स्थल पर डाक मत पत्र भेजना जहां मतगणना रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर नहीं की जाती है – ऐसे मामलों में जहां गणना रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालयों से इतर स्थान में की जाती है, वहां संसदीय / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के डाक मत पत्रों को गणना केन्द्रों में गणना के दिन से एक दिन पूर्व संबंधित संसदीय / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियत दूसरे स्ट्रांग रुम में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। इस प्रयोजनार्थ, रिटर्निंग अधिकारी, अभ्यर्थियों को इसे किए जाने के समय के बारे में लिखित रूप में सूचित करेंगे। डाक मत पत्रों के लिए स्ट्रांग रुम अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोले जाएंगे। तब, सभी डाक मत पत्रों को एक बड़े स्टील बक्से में रखा जाएगा जिसे अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुहरबंद किया जाएगा। तब इस बक्से को सशस्त्र केन्द्रीय पुलिस बल की सुरक्षा में गणना केन्द्र पर डाक मत पत्रों के स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा। अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों को डाक मत पत्रों को ले जाने वाले वाहन का अनुगमन करने की अनुमति दी जाएगी। तब डाक मत पत्रों वाले बक्से को अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदान केन्द्र में डाक मतपत्र वाले स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। तत्पश्चात स्ट्रांग रुम को मुहरबंद किया जाएगा तथा अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों से उनकी उपस्थिति के प्रमाणस्वरुप हस्ताक्षर लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों को स्ट्रांग रूम की निगरानी करने की अनुमित दी जाएगी जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें उचित सुविधाए प्रदान की जाएंगी। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। गणना के दिन, रिटर्निंग अधिकारी स्ट्रांग रुम को खोलेंगे तथा फेसिलीटेशन केन्द्रों से प्राप्त सभी डाक मत पत्रों तथा रिजस्टरों के संगत पृष्ठों की प्रतियों को उस मेज पर लाएंगे, जहां डाक मत पत्रों की गणना की जाएगी।
- 17. गणना से पूर्व डाक मत पत्रों का मिलान करना फेसिलीटेशन केन्द्रों से प्राप्त लिफाफे को एक-एक करके खोला जाएगा तथा प्रत्येक लिफाफे में पाये गए डाक मत पत्रों की संख्या को फेसिलीटेशन केन्द्र से प्राप्त

रजिस्टरों के संगत पृष्ठों की प्रतियों में निर्दिष्ट संख्याओं से मिलान किया जाएगा। ऐसे मिलान के परिणाम को डाक मत पत्रों की गणना से पूर्व अभ्यर्थियों तथा उनके निर्वाचन एजेन्टों को दिखाया जाएगा। इसी प्रकार, डाक द्वारा प्राप्त मत पत्रों के रजिस्टर को भी अभ्यर्थियों तथा उनके निर्वाचन एजेन्टों को दिखाया जाएगा।

18. आयोग ने यह निदेश दिया है कि इन अनुदेशों को तत्काल सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए। राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा तथा जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इस पत्र की एक प्रति दी जाए। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन लडने वाले सभी अभ्यर्थियों को भी इस पत्र की एक प्रति दी जानी चाहिए।

भवदीय, जाशीष चक्रवर्ती) सचिव

प्रपत्र - 1

फैसीलिटेशन केन्द्र पर डाले गए डाक मतपत्रों संबंधी विवरण

राज्य का नाम		फँसीलिटेश-	फैसीलिटेशन केन्द्र का नाम
केले का नाम	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	प्रमारी अधिव	प्रमारी अधिकारी का नाम एवं पद
म संख्या	दिनांक	संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र डाले गए डाक मतपत्रों की कुल संख्या की संख्या एवं नाम
*			
ख तक कुल			
ज की तारीख तक संवित			

प्रपत्र - 2

जिले के अन्तर्गत फैसीलिटेशन केन्द्र पर डाले गए डाक मतपत्रों का जिला–वार विवरण (फैसीलिटेशन प्रदान किए जाने के प्रत्येक दिन तैयार किया जाए)

हैसीलिटेशन की तारीख	संसदीय ∕ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (त्री) की संख्या एवं न	जिले का नाम	राज्य का नाम
	व नाम		

			राज्य के लिए कुल
			जिल के लिए कुल
	•		
तारीख तक	तारीख को		
संख्या	मतपत्रों की कुल संख्या	क्यालिया के से का चान	104 104

947 - 3

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए डाक मतपत्रों का विवरण

(सार विवरण)

संसदीय निर्वाचन फैसोलिटेशन केन्द्र से विशेष डाक द्वारा प्राप्त डाक मतपत्रों की संख्या क्षेत्र / विधान सभा संवाहक द्वारा प्राप्त डाक सेवा मतदाताओं से (पीले निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों की संव मंठ एवं नाम दिनांक आज की तारीख दिनांक आज की दिनांक को प्राप्त संवित को प्राप्त संवित योग योग योग
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5	
i	
į	
i	
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	
1	
1	
1	
ì	

ड्यूटी

圮

प्राप्त डाक मतपत्रों का कुल योग (फैसीलिटेशन केन्द्रों से विशेष संवाहक द्वारा तथा

मतदाताओं एवं अन्य हेतु

तारीख तक

7

तारीख तक प्राप्त संचित

प्राप्त संचित

4

योग.

आज की

दिनांक को

आज की

डाक द्वारा सहित)